अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र

(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

सामान्य

3.1.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा क्षे उ जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिये स्थापित किये जाते हैं तथा यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, उत्तराखण्ड में 30 सा क्षे उ थे, जिनमें तीन सांविधिक निगम[1] एवं 27 सरकारी कम्पनियाँ (आठ अकार्यरत सरकारी कम्पनियों[2] सहित) जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

3.1.1.2 30 सितम्बर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। सा क्षे उ की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-3.1.1** में दर्शाई गई है:

तालिका-3.1.1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

सा क्षे उ की प्रकृति	कुल संख्या	सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[3] के दौरान प्राप्त हुए				सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ[4]	19[5]	3	4	2	9	16 (62)
सांविधिक निगम	3	-	1	-	1	3 (5)
कुल कार्यरत सा क्षे उ	**22**	**3**	**5**	**2**	**10**	**19 (67)**
अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	8	-	-	-	-	8 (211)
कुल	***30***	***3***	***5***	***2***	***10***	***27 (278)***

[1] उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

[2] अकार्यरत सा क्षे उ का मतलब एक ऐसी कम्पनी है जो किसी भी व्यवसाय या कार्य को नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है, या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

[3] अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 तक।

[4] सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियाँ सम्मिलित हैं।

[5] इसमें चार नये सा क्षे उ नामतः देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड सम्मिलित हैं, जिनको राज्य सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था और उनके पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के पहले लेखे आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2018 को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 8,770.99 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के 4.03 *प्रतिशत* के बराबर था (₹ 2,17,609 करोड़)। कार्यरत सा क्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 238.89 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2018 तक राज्य के सा क्षे उ ने लगभग 20,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

आठ सा क्षे उ[6], पूँजी (₹ 3.36 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 23.88 करोड़) के सापेक्ष ₹ 27.24 करोड़ निवेश के साथ गत 2 से 18 वर्षों की अवधि से अकार्यरत हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

3.1.1.3 जवाबदेही संरचना

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 में वर्णित हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* भाग केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कम्पनी, जो ऐसी सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी हो, भी सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंर्तगत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी में नि म ले प द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में नि म ले प द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनाँक से साठ दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि नि म ले प द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

---

[6] यू पी ए आई, ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), कुम्ट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाऊँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)। इसके अलावा, चार सा क्षे उ मुख्यतः गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, ट्रांसकेबल्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, जो 2016-17 तक कार्यरत थीं, वर्ष 2017-18 में अब चार अकार्यरत सा क्षे उ को उसमें सम्मिलित किया गया है। इन सा क्षे उ में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के मामले में भारत के नि म ले प, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होगें। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी नि म ले प द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

3.1.1.4 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरणों एवं अन्य दस्तावेजों के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नि म ले प को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में नि म ले प द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, नि म ले प उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संबन्ध में नि म ले प को इसकी लेखापरीक्षा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 2018-19 तक सौंपी गयी है।

3.1.1.5 सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

(अ) समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके नि म ले प द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या उस पर कोई टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये संबन्धित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित

निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की ए जी एम करानी होती है। यह भी कहा गया है कि एक ए जी एम की दिनाँक से अगली दिनाँक के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त ए जी एम के समक्ष उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास की तरह दण्डारोपण किये जाने का प्रावधान है।

(ब) सरकार एवं विधानसभा की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्य विधानसभा, सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए, राज्य सरकार की कम्पनियों के संबन्ध में, सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं नि म ले प की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सामने रखी जाती हैं या जैसा कि सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित किया गया हो। नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1.1.6 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) की सा क्षे उ में वित्तीय भागीदारी के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण -** शेयर पूँजी योगदान के अतिरिक्त, जी ओ यू समय-समय पर सा क्षे उ को ऋणों के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता -** जी ओ यू आवश्यकता के अनुसार सा क्षे उ को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी -** जी ओ यू वित्तीय संस्थानों से सा क्षे उ द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देती है।

3.1.1.7 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे **तालिका-3.1.2** में दिया गया है:

तालिका-3.1.2: सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[7] (*₹ करोड़ में*)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		इक्विटी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	4	--	--	--	4	2,947.78	3,361.23	6,309.01
वित्त	1	2	--	--	3	23.43	1.21	24.64
सेवा	3	--	1	--	4	258.71	122.80	381.51
ढाँचागत	4	--	1	--	5	3,084.24	276.61	3,360.85
अन्य	7	6	1	--	14	48.50	303.09	351.59
योग	***19***	***8***	***3***		***30***	***6,362.66***	***4,064.94***	***10,427.60***

स्रोत: सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान सा क्षे उ निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 10,427.60 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 6,309.01 करोड़ (60.50 *प्रतिशत*) का शासकीय निवेश प्राप्त हुआ।

3.1.1.8 31 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे दिए गए **चार्ट-3.1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.1.1: सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश *आँकड़ें करोड़ ₹ में*

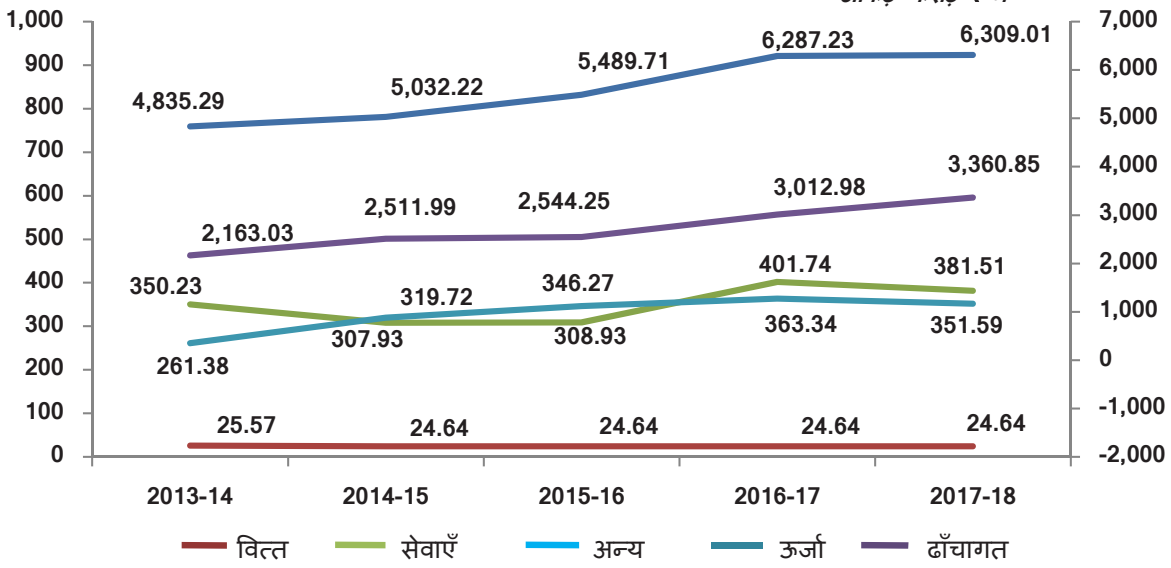

ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन में चार ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के लेखापरीक्षा के परिणाम ***प्रस्तर 3.2*** में एवं 26 सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के ***प्रस्तर 3.3*** में प्रस्तुत कर रहे हैं।

[7] निवेश में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

भाग-I (ऊर्जा क्षेत्र)

3.2 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

3.2.1 परिचय

3.2.1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड की जी एस डी पी का विवरण निम्न **तालिका-3.2.1** में दिया गया है:

तालिका-3.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,968.35	4,421.60	5,745.16	5,883.21	6,780.91
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
टर्नओवर का उत्तराखण्ड के जी एस डी पी से प्रतिशतता	*2.66*	*2.74*	*3.27*	*3.01*	*3.12*

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के टर्नओवर के आँकड़ों एवं जी एस डी पी के आँकड़ों का उत्तराखण्ड सरकार के 2017-18 के वित्तीय लेखों के आधार पर संकलन।

इन उपक्रमों के टर्नओवर में गत वर्षों के सापेक्ष निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 2.40 *प्रतिशत* एवं 29.93 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तराखण्ड की जी एस डी पी में वृद्धि 8.29 *प्रतिशत* एवं 11.28 *प्रतिशत* के मध्य रही। जी एस डी पी की पिछले पाँच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 10.58 *प्रतिशत* रही। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी विधि है। जी एस डी पी के 10.58 *प्रतिशत* की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के सापेक्ष इन उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 15.76 *प्रतिशत* की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जिस कारण जी एस डी पी में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 2.66 *प्रतिशत* से बढ़कर 2017-18 में 3.12 *प्रतिशत* हो गई।

3.2.1.2 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 14 जनवरी 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के पारेषण और वितरण के टर्नओवर के लिए तीन अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित हुआ था। उत्तरांचल राज्य के गठन (09 नवम्बर 2000) के परिणामस्वरूप, उत्तरांचल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य में ऊर्जा के पारेषण और वितरण के कार्यों को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन

लिमिटेड (यू पी पी सी एल) की उत्तराधिकारी इकाई के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू (13 मार्च 2001) द्वारा, व्यापार को यू पी सी एल को स्थानांतरित (01 अप्रैल 2001) कर दिया गया था।

ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी), भारत सरकार (जी ओ आई) ने अपने आदेश (05 नवम्बर 2001) द्वारा संपत्ति और देनदारियों के विभाजन की कार्यप्रणाली की अधिसूचना को जारी किया जो 09 नवम्बर 2001 से प्रभावी हुई। इस योजना के अनुसार, अविभाजित ऊर्जा कम्पनियों की सभी स्थाई संपत्तियाँ जो उत्तरांचल में थीं, उनको यू पी सी एल और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) को जैसी भी स्थिति हो, हस्तांतरित किया जाना था। क्षेत्रीय इकाइयों की चल संपति और भंडार को स्थान के आधार पर हस्तांतरित किया जाना था। अविभाजित ऊर्जा कम्पनियों की परियोजना / परिसंपत्तियाँ की विशिष्ट देनदारियों को उत्तराधिकारी कम्पनियों को हस्तांतरित किया जाना था जहाँ इस तरह की परियोजना / परिसंपत्तियाँ भी हस्तांतरित की गई थीं। वो देनदारियों जो किसी भी परियोजना / परिसंपत्तियों को सौंपीं नहीं जा सकती थीं, उन्हें यू पी पी सी एल और यू पी सी एल के बीच और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड और यू जे वी एन एल के बीच ऊर्जा की खपत के अनुपात में बाँटा जाना था। तथापि, अंतिम हस्तांतरण योजना को, शेष परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण हेतु अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। [प्राधिकार: यू जे वी एन एल के वर्ष 2017-18 के लेखे में की गई टिप्पणी संख्या 42(1)]।

उत्तराखण्ड में, ऊर्जा का उत्पादन यू जे वी एन एल (12 फरवरी 2001 को गठित) द्वारा किया जाता है, तथा पारेषण और वितरण का व्यवसाय उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा किया जाता है, जिसे 12 फरवरी 2001 को गठित किया गया था। 27 मई 2004 को राज्य में 132 के वी तथा उससे ऊपर की पारेषण लाइनें और सबस्टेशन के रख रखाव और संचालित करने के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) का गठन किया गया था। 16 जनवरी 2017 को निगमित किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नई कंपनी है। इसने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

3.2.1.3 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण के कोई प्रकरण नहीं थे।

3.2.1.4 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश[8] का गतिविधि-वार सारांश नीचे **तालिका-3.2.2** में दिया गया है:

[8] निवेश में जी ओ यू द्वारा प्रदत्त इक्विटी पूँजी और दीर्घावधि ऋण सम्मिलित हैं।

तालिका-3.2.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश *(₹ करोड़ में)*			
		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण		कुल
			जी ओ यू	अन्य	
ऊर्जा का उत्पादन	2	1,167.87	265.80	1,105.09	2,538.76
ऊर्जा का पारेषण	1	473.88	17.22	537.70	1,028.80
ऊर्जा का वितरण	1	1,306.03	33.28	1,402.14	2,741.45
कुल	*4*	*2,947.78*	*316.30*	*3,044.93*	*6,309.01*

स्रोतः ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2018 तक, 04 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6,309.01 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 46.72 *प्रतिशत* एवं दीर्घावधि ऋण 53.28 *प्रतिशत* शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 9.41 *प्रतिशत* (₹ 316.30 करोड़) था जबकि भारत सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 90.59 *प्रतिशत* (₹ 3,044.93 करोड़) था। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का ₹ 151.13 करोड़ का ऋण (मूल ₹ 77.82 करोड़ और उस पर ब्याज ₹ 73.31 करोड़) उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना[9] (उदय) के अंतर्गत राज्य डिस्कॉम की इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया (मार्च 2016)। तथापि, वित्त विभाग ने ऋण को इक्विटी में अभी तक परिवर्तित नहीं किया (मई 2019)।

3.2.1.5 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) वार्षिक बजट के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय बहिर्गमन के विवरण का सारांश निम्न **तालिका-3.2.3** में दिया गया है:

तालिका-3.2.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[10]	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी (i)	3	57.36	4	130.01	3	53.00
दिये गये ऋण(ii)	1	6.71	3	129.27	2	35.49
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	17.88	1	46.40	1	14.96
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	-	81.95		305.68		103.45
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन	1	77.82	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	3	506.88	-	-	1	358.31
गारंटी प्रतिबद्धता	3	830.97	2	988.83	2	894.75

स्रोत: सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

[9] डिस्कॉम के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना।
[10] यह राशि केवल राज्य के बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के लिए इक्विटी ऋण एवं अनुदान / सब्सिडी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण निम्न **चार्ट-3.2.1** में दिया गया हैं:

चार्ट-3.2.1: इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान / सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

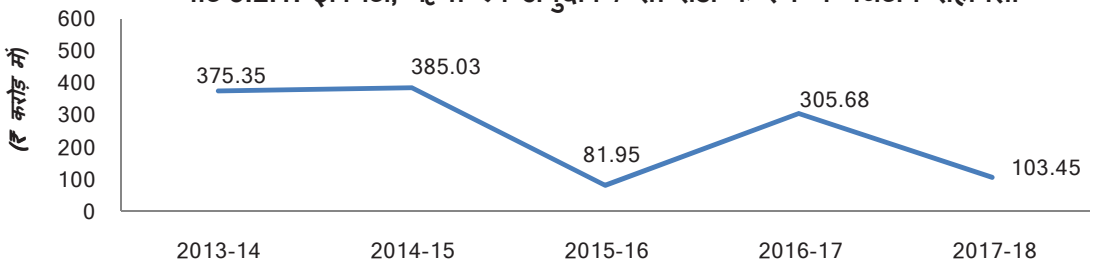

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 385.03 करोड़ एवं 81.95 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 103.45 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रुप में क्रमशः ₹ 53.00 करोड़, ₹ 35.49 करोड़ एवं ₹ 14.96 करोड़ सम्मिलित थीं। यू जे वी एन एल को बाँध पुनर्वास एवं सुधार योजना के लिए ₹ 14.96 करोड़ का अनुदान दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी) भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं एक डिस्कॉम के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के ***प्रस्तर 3.2.1.21*** के अंतर्गत की गई है। यू पी सी एल का ऋण ₹ 671.50 करोड़ (₹ 73.71 करोड़ ब्याज सहित) बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम का कोई ऋण अधिग्रहित नहीं किया। तथापि, 2015-16 के दौरान उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड[11] द्वारा उदय योजना के अंतर्गत ₹ 151.13 करोड़ की ऋण राशि (ब्याज सहित) को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है (मई 2019)।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा प्रति वर्ष एक *प्रतिशत* की गारंटी शुल्क लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया (सितम्बर 2000) कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई गारंटी पर एक *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क वसूल किया जाए और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। 31 मार्च 2016 तक गारंटी प्रतिबद्धता बकाया राशि ₹ 830.97 करोड़ (तीन सा क्षे उ) थी, जो 31 मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 894.75 करोड़ (दो सा क्षे उ) हो गई। 2017-18 के दौरान एक सा क्षे उ नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 4.23 करोड़ की गारंटी शुल्क का भुगतान किया। यू पी सी एल का ₹ 5.36 करोड़ गारंटी शुल्क देय के रूप में बकाया था।

[11] 24 जून 2016 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रूपांतरण को मंजूरी दी गई जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

3.2.1.6 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

इक्विटी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबन्ध में राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के आँकड़े जी ओ यू के वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इक्विटी, ऋण और गारंटी के आँकड़ों में अंतर की स्थिति नीचे **तालिका-3.2.4** में दर्शाई गई है:

तालिका-3.2.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी

(₹ करोड़ में)

के संबन्ध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	अंतर
इक्विटी	2942.80	2947.78	4.98
ऋण	217.35	316.30	98.95
गारंटी	917.79	894.75	23.04

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र (सा क्षे उ) से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से बना है। अंतरों के समाधान हेतु इस मुद्दे को सा क्षे उ/विभागों के मध्य समय-समय पर उठाया गया। हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और सा क्षे उ को अंतरों का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

3.2.1.7 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2018 तक नि म ले प के लेखापरीक्षा के अधीन चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम[12] थे। वर्ष 2017-18 के लिए तीन कार्यशील सा क्षे उ[13] द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे **तालिका-3.2.5** में दिया गया है:

तालिका-3.2.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र सं	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा क्षे उ की संख्या	3	3	3	3	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	4	3	3	3	3
3.	सा क्षे उ की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	3	4	3	3	3
4.	पिछले वर्ष के लेखों की संख्या जिनके लेखों को चालू वर्ष में अंतिम रुप दिया गया	4	2	2	-	-
5.	सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	2	2	-	-	1
6.	बकाया लेखों की संख्या	2	2	-	-	1
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-	एक वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत सा क्षे उ के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलन किया गया।

[12] उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किशाऊ निगम लिमिटेड।

[13] उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ की कम्पनियाँ पिछले तीन वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर हैं।

3.2.1.8 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ[14] की वित्तीय स्थिति एवं कार्य के परिणाम 30 सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ***परिशिष्ट-3.2.1*** में दिये गये हैं।

सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार और अन्य द्वारा इन सा क्षे उ में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 6,309.00 करोड़ थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,947.77 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 3,361.23 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से इन सा क्षे उ में जी ओ यू का निवेश ₹ 3,264.07 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,947.77 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹316.30 करोड़ थे।

जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के तीन कार्यशील सा क्षे उ में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे **चार्ट-3.2.2** में दी गई है:

चार्ट-3.2.2: जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

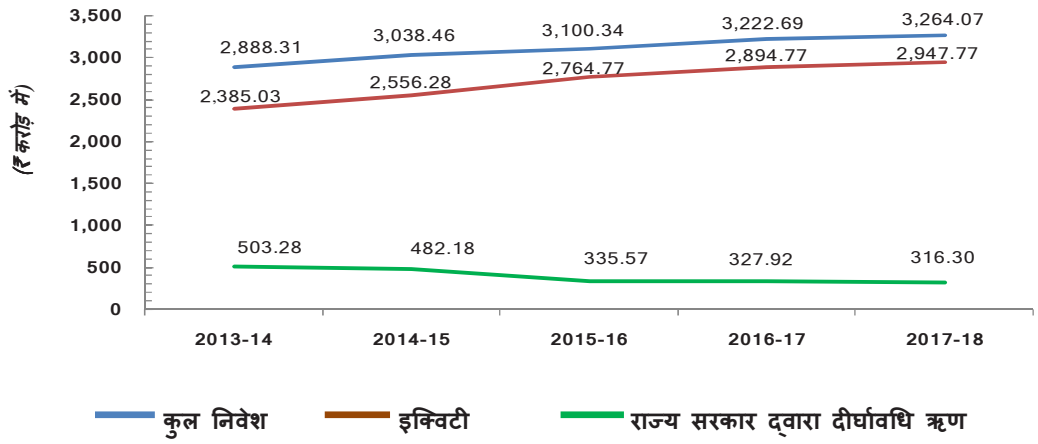

कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निर्धारित वर्ष में निवेश की गई राशि से संबन्धित लाभ अथवा हानि की राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के *प्रतिशत* के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक

[14] किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी और इसके पहले लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है, जिसकी गणना करों के पश्चात के शुद्ध लाभ को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

3.2.1.9 निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल, कुल निवेश पर लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों[15] द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि[16] की समग्र स्थिति निम्न **चार्ट-3.2.3** में प्रदर्शित है:

चार्ट-3.2.3: उर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि

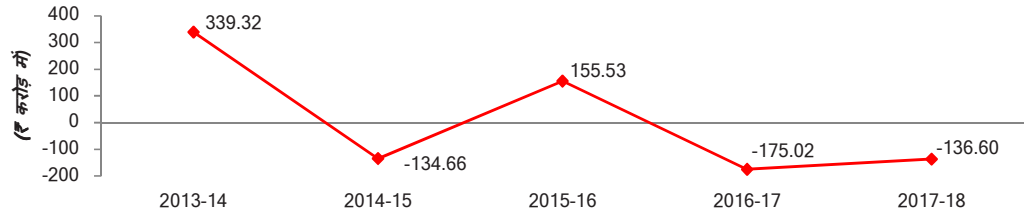

तीन सा क्षे उ द्वारा 2016-17 में वहन की गई ₹ 175.02 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2017-18 में ₹ 136.60 करोड़ की हानि वहन की गई। इन सा क्षे उ के वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों के अनुसार, दो सा क्षे उ ने ₹ 92.62 करोड़ का लाभ कमाया और एक सा क्षे उ ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि का वहन किया (***परिशिष्ट-3.2.1***)। 2017-18 में, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 63.73 करोड़) और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹28.89 करोड़) लाभ कमाने वाले सा क्षे उ थे, जबकि यू पी सी एल ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि वहन की।

2013-14 से 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ की स्थिति को, जिनके द्वारा लाभ/हानि अर्जित/वहन की गई, निम्न **तालिका-3.2.6** दिया गया है:

तालिका-3.2.6: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा अर्जित/उठाई गई लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र में कुल सा क्षे उ	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले सा क्षे उ की संख्या	सा क्षे उ की संख्या जिनको वर्ष के दौरान सीमांत लाभ/हानि हुई
2013-14	03	03	--	--
2014-15	03	02	01	--
2015-16	03	02	01	--
2016-17	03	02	01	--
2017-18	04[17]	02	01	--

[15] किशाऊ निगम लिमिटेड को छोड़कर, जिसने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू नहीं किया था।

[16] सम्बन्धित वर्षों के दौरान नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार आँकड़े हैं।

[17] ऊर्जा क्षेत्र का एक सा क्षे उ नामतः किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं।

(अ) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

राज्य सरकार ने तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में इक्विटी, ऋण और अनुदान के रूप में धन का निवेश किया। इन सा क्षे उ की संपूर्ण इक्विटी में राज्य सरकार का योगदान था। जी ओ यू द्वारा इन सा क्षे उ को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों में से, ब्याज मुक्त आधार पर कोई ऋण नहीं दिया गया और उदय योजना के अंतर्गत कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी।

इन सा क्षे उ से निवेश पर प्रतिफल की गणना जी ओ यू द्वारा इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि जब तक ऋणों को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, पुनर्भुगतान के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करें। सब्सिडी/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए धन को निवेश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश केवल इक्विटी पर आधारित है। इन सा क्षे उ की प्रारंभिक इक्विटी में कोई भी संचित हानियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जो उनको पुनर्गठन योजना, 2000 के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थीं, जैसा कि उपरोक्त ***प्रस्तर 3.2.1.2*** में संदर्भित किया गया है।

31 मार्च 2018 को, इन सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश ₹ 3,264.07 करोड़ था जिसमें ₹ 2,947.77 करोड़ इक्विटी और ₹ 316.30 करोड़ दीर्घावधि ब्याज असर वाला ऋण था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल जैसाकि निम्न **तालिका-3.2.7** में दिया गया है:

तालिका-3.2.7: ऐतिहासक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	वर्ष के अंत में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी[18] के रूप में जी ओ यू द्वारा धन का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल आय/ हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल *(प्रतिशत में)*
2013-14	2,385.03	339.32	*14.23*
2014-15	2,556.28	(-)134.66	*(-)5.27*
2015-16	2,764.77	155.53	*5.63*
2016-17	2,894.77	(-)175.02	*(-)6.05*
2017-18	2,947.77	(-)136.60	*(-)4.63*

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

निवेश पर प्रतिफल अस्थिर था। यू पी सी एल 2014-15 से लगातार हानियाँ वहन कर रहा था जबकि यू जे वी एन एल और पिटकुल की लाभप्रदता का रुझान भी घटते क्रम में था। यू पी सी एल द्वारा वहन की गई हानियों से ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ का कुल निवेश पर समग्र प्रतिफल ऋणात्मक ज़ोन में चला गया।

[18] जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया था।

(ब) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्यूँकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, तीन कम्पनियों में जी ओ यू द्वारा निवेश किए गए धन पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के आधार पर करने के अलावा, निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पी वी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पी वी की गणना, इन कम्पनियों के प्रारम्भ होने से लेकर 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में निवेशित धन के आधार पर की गई है। प्रत्येक वर्ष से 31 मार्च 2018 के अंत तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए विगत निवेशों/वर्षवार जी ओ यू द्वारा इन सा क्षे उ में निवेशित धन को सरकारी ऋण पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर मिश्रित किया गया है जिसे सम्बन्धित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत माना गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना की गई है जहाँ सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में प्रारम्भ से 31 मार्च 2018 तक धन का निवेश किया गया था। तीनों सा क्षे उ में केवल वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था जबकि दो सा क्षे उ में 2014-15 से 2017-18 के दौरान निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी वी) की गणना निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की गई है।

- ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया है।
- जी ओ यू के निवेश में कोई अनुदान / सब्सिडी नहीं दी गई है।
- उदय स्कीम के अंतर्गत कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी।

3.2.1.10 इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में राज्य सरकार की कम्पनीवार निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट-3.2.2*** में इंगित की गई है। इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों[19] से सम्बन्धित राज्य सरकार के निवेश के पी वी की समेकित स्थिति निम्न **तालिका-3.2.8** में दर्शाई गई है:

[19] उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं कीं।

तालिका-3.2.8: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश एवं सरकार की निधि के वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशतता में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय[20]
i	ii	iii	iv	v = iii + iv	vi	vii=ii + v	viii = {vii * (1 + vii)/100}	ix = {vii * vi} / 100	x
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	10.00	0.00	10.00	8.36	10.00	10.84	0.84	-27.62
2002-03	10.84	0.00	0.00	0.00	10.40	10.84	11.97	1.13	-13.80
2003-04	11.97	0.00	0.00	0.00	8.51	11.97	12.99	1.02	-34.73
2004-05	12.99	168.66	0.00	168.66	9.10	181.65	198.18	16.53	-180.75
2005-06	198.18	241.64	0.00	241.64	7.47	439.82	472.67	32.85	-125.29
2006-07	472.67	119.98	0.00	119.98	7.79	592.65	638.82	46.17	-180.25
2007-08	638.82	229.20	0.00	229.20	7.99	868.02	937.37	69.35	-206.65
2008-09	937.37	72.03	0.00	72.03	7.75	1,009.40	1,087.63	78.23	-347.35
2009-10	1,087.63	694.88	0.00	694.88	7.64	1,782.51	1,918.69	136.18	-543.10
2010-11	1,918.69	31.71	0.00	31.71	7.34	1,950.40	2,093.56	143.16	-196.78
2011-12	2,093.56	41.78	0.00	41.78	7.83	2,135.34	2,302.54	167.2	5.33
2012-13	2,302.54	516.35	0.00	516.35	8.50	2,818.89	3,058.50	239.61	8.80
2013-14	3,058.50	258.80	0.00	258.80	7.57	3,317.30	3,568.42	251.12	339.32
2014-15	3,568.42	171.25	0.00	171.25	7.73	3,739.67	4,028.75	289.08	-134.66
2015-16	4,028.75	208.49[21]	0.00	208.49	8.19	4,237.24	4,584.27	347.03	155.53
2016-17	4,584.27	130.00	0.00	130.00	8.90	4,714.27	5,133.84	419.57	-175.02
2017-18	5,133.84	53.00	0.00	53.00	8.27	5,186.84	5,615.79	428.95	-136.60
योग		*2,947.77*	*0.00*	*2,947.77*					

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

सा क्षे उ की प्रारंभिक इक्विटी में, पुनर्गठन योजना, 2000 के अंतर्गत उनको हस्तांतरित कोई भी संचित हानियाँ सम्मिलित नहीं गई हैं जैसा कि ***प्रस्तर 3.2.1.2*** में सदर्भित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2001-02 में ₹ 10 करोड़ (इक्विटी) से बढ़कर वर्ष 2017-2018 में ₹ 2,947.77 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में (₹ 2,937.77 करोड़) पुनः निवेशित किया गया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की पी वी 31 मार्च 2018 को ₹ 5,615.79 करोड़ आगणित की गई।

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की कुल आय को दो सा क्षे उ नामतः यू पी सी एल और यू जे वी एन एल के संबन्ध में वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) दर्शाया गया और 2004-05 के बाद से उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सभी तीनों सा क्षे उ के संबन्ध मे शुद्ध आय

---

[20] वर्ष के लिए कुल आय, उन तीन सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र) के संबन्ध में वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) को दर्शाती है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी भी सा क्षे उ के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) सम्बन्धित सा क्षे उ के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार ली गई है।

[21] इसमें ₹ 151.13 करोड़ के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है ***प्रस्तर 3.2.1.4*** का संदर्भ।

(लाभ/हानि) दर्शाया गया। सभी तीनों सा क्षे उ ने सम्बन्धित वर्षों के लिए लाभ / हानि दिखाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांत पर अपने वार्षिक लेखे तैयार किए।

यह देखा जा सकता है कि इन सा क्षे उ की लिए कुल आय 2001-02 से 2017-18 के दौरान ऋणात्मक थी सिवाय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और वर्ष 2015-16 के दौरान, जो की यह दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल अर्जित करने के बजाय सरकार धन के लागत को वसूल नहीं कर सकी। इसके अलावा, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2015-16 के लिए धनात्मक कुल आय भी इन कम्पनियों में किए गए निवेश के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी कम रही। वर्ष 2013-14 के दौरान आय, यू पी सी एल की ऊर्जा खरीद की देयता की वापसी के कारण न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से अधिक थी।

उदय स्कीम के अंतर्गत, परिचालन बदलाव प्राप्त करने के लिए एम ओ पी, जी ओ आई; जी ओ यू एवं यू पी सी एल के मध्य एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) निष्पादित किया गया। तथापि, उदय स्कीम के अंतर्गत यू पी सी एल को कोई सब्सिडी नहीं दी गई। 2017-18 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल की तुलना, ऐसे निवेश की ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य के आधार पर निम्न **तालिका-3.2.9** में दी गई है:

तालिका-3.2.9: राज्य सरकार की निधि पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

कुल आय/हानि (-)	जी ओ यू द्वारा इक्विटी[22] के रूप में निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल *(प्रतिशत)*	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य को मानते हुए राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल *(प्रतिशत)*
(-) 136.60	2,947.77	(-) 4.63	5,615.79	(-) 2.43

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

वर्ष 2017-18 के लिए निवेश पर प्रतिफल, वर्तमान मूल्य और एतिहासिक लागत दोनों के आधार पर ऋणात्मक थे।

3.2.1.11 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। तीन सार्वजनिक उपक्रमों की ₹ 2,947.77 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध समग्र संचित हानि ₹ 1,864.37 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,083.40 करोड़ का निवल मूल्य था। इन तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में से, यू पी सी एल में निवल मूल्य (-₹ 1,262.69 करोड़) पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 2013-14 से

[22] राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया।

2017-18 के दौरान तीन ऊ क्षे उ[23] की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियाँ एवं निवल मूल्य निम्न **तालिका-3.2.10** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन ऊ क्षे उ का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	मुक्त कोषों एवं संचित लाभ	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानियाँ (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2,385.03	-	(-)1,562.79	00	822.24
2014-15	2,556.28	-	(-)1,698.04	00	858.24
2015-16	2,764.77	-	(-)1,542.51	00	1,222.26
2016-17	2,894.77	-	(-)1,845.19	00	1,049.58
2017-18	2,947.77	-	(-)1,864.37	00	1,083.40

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी।

राज्य सरकार इन सा क्षे उ में 2013-18 तक की अवधि के दौरान लगातार इक्विटी निवेश करके वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। इसके बावजूद, यू पी सी एल की संचित हानि 2013-14 में ₹ 1,695.38 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 2,568.72 करोड़ हो गई। हानि के परिणामस्वरूप यू पी सी एल का निवल मूल्य 2013-18 के दौरान तक ऋणात्मक रहा। दो सा क्षे उ[24] का निवल मूल्य धनात्मक था।

3.2.1.12 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अंतर्गत सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान में दी गई शेयर पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से सम्बन्धित लाभांश भुगतान जहाँ अवधि के दौरान जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, निम्न **तालिका-3.2.11** में दिखाया गया है:

तालिका-3.2.11: 2013-14 से 2017- 18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा क्षे उ जहाँ जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षे उ		वर्ष के दौरान सा क्षे उ द्वारा लाभांश घोषित / भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशतता)
	सा क्षे उ की संख्या	जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश	सा क्षे उ की संख्या	जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश	सा क्षे उ की संख्या	सा क्षे उ द्वारा घोषित लाभांश / भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100
2013-14	3	2,385.03	3	2,385.03	-	-	-
2014-15	3	2,556.28	2	1,479.38	-	-	-
2015-16	3	2,764.77	2	1,526.74	1	15.18	*0.55*
2016-17	4	2,894.77	2	1,610.74	2	27.69	*0.96*
2017-18	4	2,947.77	2	1,641.74	1	18.69	*0.63*

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना।

[23] किशाऊ निगम लिमिटेड के अतिरिक्त।

[24] उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

केवल एक ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ (यू जे वी एन एल) ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान लाभांश का भुगतान / घोषित किया एवं उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2016-17 के दौरान लाभांश का भुगतान / घोषित किया था।

2013-14 से 2014-15 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात शून्य था जबकि 2015-16 से 2017-18 के दौरान, यह बहुत नगण्य था और केवल 0.55 *प्रतिशत* और 0.96 *प्रतिशत* के बीच था। इसके अलावा, इनमें से किसी भी सा क्षे उ ने 2014-15 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से लाभांश घोषित / भुगतान नहीं किया था।

3.2.1.13 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय निष्पादन कि एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि कम्पनी कितने प्रभावी ढंग से सम्पत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए करती है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (अर्थात कर अदायगी के उपरान्त शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको *प्रतिशत* के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या में हों।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय के योग में से संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है और यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियाँ विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की इक्विटी का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना तीन सा क्षे उ के सम्बंध में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान तीन सा क्षे उ से संबन्धित शेयरधारकों की निधि एवं आर ओ ई का विवरण निम्न **तालिका-3.2.12** में दिया गया है:

तालिका-3.2.12: तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से संबन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहाँ जी ओ यू द्वारा निधि का निवेश किया गया है

वर्ष	शुद्ध आय *(₹ करोड़ में)*	शेयरधारकों की निधि *(₹ करोड़ में)*	आर ओ ई (प्रतिशतता)
2013-14	339.32	822.24	*41.27*
2014-15	-134.66	858.24	--
2015-16	155.53	1,222.26	*12.72*
2016-17	-175.02	1,049.58	--
2017-18	-136.60	1,083.40	--

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

मार्च 2018 को समाप्त हुई पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, शुद्ध आय केवल वर्ष 2013-14 और 2015-16 में धनात्मक थी, जबकि शेयरधारकों की निधि सभी वर्षों में धनात्मक थी इसलिए

वर्ष 2013-14 और 2015-16 को छोड़कर इन सा क्षे उ में आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी जिसमें आर ओ ई क्रमशः 41.27 *प्रतिशत* और 12.72 *प्रतिशत* था। यू पी सी एल द्वारा अत्यधिक हानि उठाने के परिणामस्वरूप तीन वर्षो में इन सा क्षे उ की शुद्ध आय ऋणात्मक रही। निर्धारित टैरिफ द्वारा भी यह अपनी ऊर्जा आपूर्ति की लागत को वसूल नहीं कर सकीं।

3.2.1.14 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं किस दक्षता से उसकी पूँजी को लगाया गया है, मापता है।

आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी[25] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान समस्त तीनों ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के आर ओ सी ई का विवरण निम्न **तालिका-3.2.13** में दिया गया है:

तालिका-3.2.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ई बी आई टी (*₹ करोड़ में*)	नियोजित पूँजी (*₹ करोड़ में*)	आर ओ सी ई (*प्रतिशत*)
2013-14	630.52	3,272.50	*19.27*
2014-15	75.48	3,334.18	*2.26*
2015-16	523.76	3,947.20	*13.27*
2016-17	168.83	4,442.04	*3.80*
2017-18	211.93	4,444.64	*4.77*

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आर ओ सी ई 2.26 *प्रतिशत* और 19.27 *प्रतिशत* के मध्य रहा। सा क्षे उ का आर ओ सी ई अस्थिर प्रवृति को दर्शाता है। इसमें वर्ष 2015-16 मे सुधार हुआ क्योंकि दो सा क्षे उ[26] के लाभ में वृद्धि हुई।

3.2.1.15 कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

जिन कम्पनियों के 2013-14 से 2017-18 के दौरान दीर्घावाधि ऋण थे, ऐसे ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के ऋणों का विश्लेषण सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋणों के चुकाने की क्षमता के मूल्याँकन हेतु किया गया था। इसका मूल्याँकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

3.2.1.16 ब्याज-व्याप्ति अनुपात

ब्याज-व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व कम्पनी

[25] नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय सा क्षे उ के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आँकड़े।

[26] उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

की आय (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर होने वाले अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र की तीन सा क्षे उ, जिन पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे **तालिका-3.2.14** में दिया गया है:

तालिका-3.2.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज *(₹ करोड़ में)*	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) *(₹ करोड़ में)*	कम्पनियों[27] की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	292.11	630.52	3	3	0
2014-15	312.78	75.48	3	2	1
2015-16	339.91	523.76	3	2	1
2016-17	368.88	168.83	3	2	1
2017-18	366.46	211.93	3	2	1

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

यह देखा गया कि दो सा क्षे उ[28] का 2013-14 से 2017-18 के दौरान एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात है। एक सा क्षे उ[29] का 2014-15 से 2017-18 के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है। इस प्रकार, सा क्षे उ ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रहा था।

3.2.1.17 ऋण-टर्नओवर अनुपात

गत पाँच वर्षों के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के टर्नओवर में 15.76 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर एवं ऋणों में 7.83 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.62:1 से सुधर कर 2017-18 में 0.50:1 हो गया जैसा की निम्न **तालिका-3.2.15** में दिया गया है:

तालिका-3.2.15: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	2,450.26	2,475.94	2,724.94	3,392.46	3,361.23
टर्नओवर	3,968.35	4,421.60	5,745.16	5,883.21	6,780.91
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.62:1	0.56:1	0.47:1	0.58:1	0.50:1

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणो से संकलित सूचना ।

[27] एक ऊर्जा क्षेत्र का सा क्षे उ किशाऊ निगम लिमिटेड को नहीं माना गया है क्योंकि मार्च 2018 तक इसका परिचालन शुरू नहीं हुआ था।

[28] उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[29] उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

3.2.1.18 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

3.2.1.19 संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

भागीदार राज्यों को, विभिन्न लक्षित गतिविधियाँ जैसे अनिवार्य फीडर एवं वितरण परिवर्तकों (डी टी) की मीटरिंग, परिवर्तकों या मीटरों का उन्नयन या बदलना, 31 दिसम्बर 2019 तक प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से माँग पक्ष का प्रबन्धन (डी एस एम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, मानव शक्ति में वृद्धि, उपभोक्ता सेवा नीति का कार्यान्वयन, मासिक आधार पर प्रदर्शन की निगरानी एवं उन क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए ए टी एंड सी घाटे को कम किया गया है, आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डी टी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना, आदि। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एम ओ पी एवं राज्यों द्वारा तय की गईं हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार ए टी एंड सी हानि को 14.50 *प्रतिशत* तक कम करना, एवं आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना, वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने में शत *प्रतिशत* उपलब्धि, आदि।

3.2.1.20 वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना

भागीदार राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्स के ऋण को दो वर्षों के दौरान 75 *प्रतिशत*, 2015-16 में 50 *प्रतिशत* एवं 2016-17 में 25 *प्रतिशत* अधिग्रहण करना आवश्यक था। वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना में प्रावधान था कि:

- राज्य गैर सांविधिक तरलता अनुपात ऋणपत्र जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष की होगी, जिसमें 5 साल तक मूलधन चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में अधिग्रहित किया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।

- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण प्रकरणों में, 25 *प्रतिशत* अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

3.2.1.21 उदय योजना का कार्यान्वयन

राज्य में उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत एक राज्य डिस्कॉम्स (यू पी सी एल) से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के सापेक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ नीचे **तालिका-3.2.16** के अनुसार थीं:

तालिका-3.2.16: 31 मार्च 2019 तक संचालन निष्पादन के मापदण्डवार उपलब्धियाँ एवं लक्ष्य

उदय स्कीम का मापदण्ड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशतता में)
फीडर मीटरिंग (***संख्या में***)	1,980	1,980	100
वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग (***संख्या में***)			
नगरीय	6,616	6,777	102
ग्रामीण	--	--	--
फीडर पृथक्करण (***संख्या में***)	60	20	33
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (***संख्या में***)	1,395	858	62
असम्बद्ध घरों में विद्युत *(संख्या लाख में)*	21.17	22.45	106
स्मार्ट मीटरिंग (***संख्या में***)	3,00,000	उच्च पूँजी लागत और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मुद्दों के कारण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया	
एल ई डी उजाला का वितरण *(संख्या लाख में)*	59.33	52.88	89
ए टी एंड सी हानियाँ *(% में)*	14.50	15.21[30]	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
ए सी एस-ए आर आर में अंतर *(₹ प्रति यूनिट)*	0.00	(-) 0.03	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
शुद्ध आय या लाभ/हानि सब्सिडी सहित *(₹ करोड में)*	10.57	(229.22)[31]	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ

स्रोत: एम ओ पी, जी ओ आई की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य आँकड़े।

राज्य ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। फीडर पृथक्करण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था जबकि फीडर मीटरिंग, नगरीय क्षेत्र में वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग, असंबद्ध घरों में ऊर्जा प्रदान करना एवं एल ई डी का वितरण का प्रदर्शन उत्साहवर्धक था क्यूँकि वह लक्ष्य से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त, राज्य मार्च 2019 तक 14.50 *प्रतिशत* ए टी एंड सी हानि की कमी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। एम ओ पी, जी ओ आई के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य सभी राज्यों में 14 वें स्थान पर रहा।

[30] वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम आँकड़े।

[31] वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, वर्ष 2017-18 के आँकड़ों को अपनाया गया है।

ब. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

जी ओ यू या राज्य डिस्कॉम ने वित्तीय देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई बॉन्ड जारी नहीं किया है। जी ओ यू ने उदय स्कीम का लाभ उठाने के लिए एम ओ पी, जी ओ आई को 'सैद्धांतिक रूप से' अपनी सहमति जताई (05 मार्च 2016)। तत्पश्चात, संचालन परिवर्तन के लिए एम ओ पी, जी ओ आई, जी ओ यू एवं राज्य डिस्कॉम (अर्थात यू पी सी एल) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर (21 मार्च 2016) किए गए। राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम का कोई ऋण अधिग्रहित नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण (ब्याज सहित) ₹151.13 करोड़ की राशि को यू पी सी एल[32] द्वारा उदय योजना के अंतर्गत 2015-16 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था जैसा कि ***प्रस्तर 3.2.1.4*** में संदर्भित है। इसके अतिरिक्त, जी ओ यू के निर्देशानुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ₹ 520.37 करोड़[33] (30 सितम्बर 2015 को) के ऋण को चुकाने के लिए राज्य गारंटी बॉन्ड जारी करने के लिए, यू पी सी एल के निदेशक मण्डल ने बॉन्ड जारी नहीं करने का निर्णय लिया (29 सितम्बर 2016) क्योंकि ऋण ब्याज की औसत दर (आठ *प्रतिशत*) से कम थी।

3.2.1.22 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों[34] ने, 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। इनमें से सभी लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि म ले प द्वारा सम्पादित अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने दर्शाया कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न **तालिका-3.2.17** के अनुसार है:

तालिका-3.2.17: लेखा परीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	33.82	1	4.81	2	120.81
2.	लाभ में वृद्धि			-	-		
3.	हानि में वृद्धि	2	184.44	1	2.15	1	36.82
4.	हानि में कमी			-	-		
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	0.31	1	1.93	2	3.75
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	3	60.09	3	176.73	3	589.96

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों / नि म ले प की टिप्पणियों से संकलित।

[32] 24 जून 2016 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रूपांतरण को मंजूरी दी गई जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

[33] औसत ब्याज दर 12 *प्रतिशत* ।

[34] एक नया ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे उ किशाऊ निगम लिमिटेड ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं क्योंकि मार्च 2018 तक इसका संचालन शुरू नहीं हुआ था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी लेखों पर अहर्ता प्रमाणपत्र जारी किए थे। इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दो लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के तीन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया था।

3.2.1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए, ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, ऊर्जा विभाग, जी ओ यू के प्रधान सचिव को इस अनुरोध के साथ जारी किया गया था कि चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर प्राप्त हो गया है (मई 2018)। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का वित्तीय प्रभाव ₹ 3.34 करोड़ है।

3.2.1.24 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नि म ले प के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों / निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना निर्धारित प्रारूप में उत्तर / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने होते हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्न **तालिका-3.2.18** में दी गई है:

तालिका-3.2.18: ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे उ से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 तक)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे उ से सम्बन्धित कुल निष्पादन लेखा परीक्षा (पी ए) और प्रस्तर		पीए / प्रस्तर की संख्या जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए थे	
		पी ए	प्रस्तर	पी ए	प्रस्तर
2012-13	नवम्बर 2014	01	01	01	01
2013-14	नवम्बर 2015	--	03	--	03
2014-15	नवम्बर 2016	--	03	--	03
2015-16	मई 2017	--	--	--	--
2016-17	सितम्बर 2018	--	03	--	03

स्रोत:लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक ऊर्जा विभाग[35] के पास लंबित थीं।

[35] उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यू जे वी एन लिमिटेड।

3.2.1.25 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

31 दिसम्बर 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से संबन्धित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) में सम्मिलित किए गए थे, कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति निम्न **तालिका-3.2.19** के अनुसार थी:

तालिका-3.2.19: 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षाएं / प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2012-13	01	01	--	--
2013-14	--	03	--	--
2014-15	--	03	--	--
2015-16	--	--	--	--
2016-17	--	03	--	--

स्रोत:लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलन।

वर्ष 2012-13 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) पर चर्चा लंबित है।

3.2.1.26 कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

दिसम्बर 2003 और दिसम्बर 2008 में राज्य विधायिका को प्रस्तुत कोपू की चार प्रतिवेदनों[36] पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2019) जैसा कि निम्न **तालिका-3.2.20** में इंगित है:

तालिका-3.2.20: कोपू प्रतिवेदन का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में सिफारिश की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2005-06	02	03	कोई ए टी एन प्राप्त नहीं हुआ।
2009-10	02	15	

स्रोत:कोपू प्रतिवेदनों के आधार पर संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनो में यू पी सी एल से सम्बन्धित प्रस्तरों के संबन्ध में अनुशंसाएँ शामिल थीं, जो वर्ष 1997-1998, 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2004-05 और 2005-06 के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में दिखाई गयी थीं। इन चार कोपू प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं पर ए टी एन मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

[36] 11.10.2006 (दो प्रतिवेदन), 23.03.2011 और 29.09.2011 को विधानसभा के समक्ष कोपू प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया गया।

भाग-II (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

3.3.1 परिचय

3.3.1.1 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबन्धित 26 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 23 सरकारी कम्पनियाँ[37] एवं तीन सांविधिक निगम[38] सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में एक[39] अकार्यरत[40] कम्पनी और अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली सात सहायक कम्पनियाँ[41] शामिल थीं। सभी सात सहायक कम्पनियाँ अकार्यरत हैं। इस प्रकार, 18 कार्यरत कम्पनियाँ और आठ अकार्यरत कम्पनियाँ हैं।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान / सब्सिडी के रूप में राज्य सा क्षे उ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के इन 26 सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से, राज्य सरकार ने केवल 18 सरकारी कम्पनियों और दो सहायक कम्पनियों[42] में ही धन का निवेश किया। राज्य सरकार ने पाँच सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम किसी में भी निधि का निवेश नहीं किया था जो कि अन्य सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित थी। इन पाँच सहायक कम्पनियों में इक्विटी का योगदान नियंत्रक कम्पनियों द्वारा किया गया था।

---

37 इसमें तीन नए सा क्षे उ सम्मिलित हैं, जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो राज्य सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मार्च 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान सम्मिलित किए गए थे।

38 सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखा परीक्षा प्रारम्भिक रूप से नि म ले प को 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक बढ़ाया गया है।

39 यू पी ए आई लिमिटेड।

40 अकार्यरत सा क्षे उ का तात्पर्य एक ऐसी कम्पनी से है जो किसी भी व्यवसाय या संचालन को नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है, या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरण दर्ज नहीं किया है।

41 ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), कुमट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल क्षेत्र निगम लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक)। इसके अतिरिक्त, चार सा क्षे उ नामतः गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, ट्रांस केबल्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, जो 2016-17 तक कार्यरत थे, को वर्ष 2017-18 से अकार्यरत सा क्षे उ के रूप में शामिल किया गया है। इन सा क्षे उ में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हुई हैं।

42 गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाऊँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)।

3.3.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

सा क्षे उ के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य सा क्षे उ के टर्नओवर[43] एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण निम्न **तालिका-3.3.1** में दिया गया है:

तालिका-3.3.1: राज्य सा क्षे उ के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	1,134.89	1,319.82	1,428.17	1,440.43	1,990.08
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	1,49,074.00	1,61,439.00	1,75,772.00	1,95,606.00	2,17,609.00
टर्नओवर का उत्तराखण्ड के जी एस डी पी से प्रतिशतता	*0.76*	*0.82*	*0.81*	*0.74*	*0.91*

स्रोत: कार्यरत सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के आँकड़ों, नि म ले प के वर्ष 2016-17 तक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से लिए किये गए टर्नओवर के आँकड़े तथा उत्तराखण्ड सरकार के 2017-18 के वित्तीय लेखों के अनुसार जी एस डी पी आकड़ों के आधार पर संकलन।

सम्बन्धित वर्षों में उपलब्ध अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार इन सा क्षे उ के टर्नओवर में पिछले वर्षो की तुलना में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि के दौरान, टर्नओवर में वृद्धि 0.86 *प्रतिशत* एवं 38.16 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि उसी अवधि के दौरान राज्य के जी एस डी पी में वृद्धि 8.29 *प्रतिशत* और 11.28 *प्रतिशत* के मध्य रही। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जी एस डी पी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 10.58 *प्रतिशत* थी। मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी विधि है। जी एस डी पी की 10.58 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष, उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 20.59 *प्रतिशत* की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। जो कि जी एस डी पी में इन सार्वजनिक सा क्षे उ के टर्नओवर की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि 2013-14 में 0.76 *प्रतिशत* से बढ़कर 2017-18 में 0.91 *प्रतिशत* के रूप में परिमाणित हुई।

3.3.1.3 राज्य सा क्षे उ में निवेश

कुछ सा क्षे उ ऐसे है जो निश्चित सेवाएँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं जिन सेवाओं को निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से प्रदान करने में इच्छुक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन

[43] इसमें छः सार्वजनिक उपक्रम (तीन नए सार्वजनिक उपक्रम नामतः इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सम्मिलित नहीं हैं; एक सा क्षे उ अर्थात् उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अब तक प्राप्त नहीं किए गए हैं और दो सा क्षे उ नामतः यू पी हिल फोन्स लिमिटेड और यू पी हिल क्वार्ट्ज जिनका विवरण राज्य के निर्माण के बाद से उपलब्ध नहीं हैं)।

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति का दो प्रमुख वर्गीकरणों के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त , राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए इनमें से दस राज्य सा क्षे उ[44] को 'अन्य' के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन 26 राज्य सा क्षे उ[45] में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में 31 मार्च 2018 तक किए गए निवेश का विवरण ***परिशिष्ट-3.3.1*** में वर्णित है।

3.3.1.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य सा क्षे उ में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे **तालिका-3.3.2** में दिया गया है:

तालिका-3.3.2: राज्य सा क्षे उ में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	सा क्षे उ की संख्या	निवेश *(₹ करोड़ में)*				
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल
		जी ओ यू	अन्य	जी ओ यू	अन्य	
सामाजिक क्षेत्र	05	24.91	6.57	1.17	0.04	32.69
प्रतिस्पर्धी वातावरण में सा क्षे उ	11	1,002.50	2,369.39	331.97	347.86	4,051.72
अन्य	10	9.32	2.19	4.15	18.52	34.18
कुल	***26***	***1,036.73***	***2,378.15***	***337.29***	***366.42***	***4,118.59***

स्रोतः सा क्षे उ से द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2018 तक, इन सा क्षे उ में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹4,118.59 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 82.91 *प्रतिशत* एवं दीर्घावधि ऋण 17.09 *प्रतिशत* सम्मलित था। उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.93 *प्रतिशत* (₹ 337.29 करोड़) था, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण 52.07 *प्रतिशत* (₹366.42 करोड़) था।

निवेश 2013-14 में ₹ 2,800.21 करोड़ 47.08 *प्रतिशत* से बढ़कर 2017-18 में ₹ 4,118.59 करोड़ हो गया। इक्विटी में ₹ 1,163.34 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण में ₹155.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

3.3.1.5 राज्य सा क्षे उ का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में कोई भी विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

---

[44] ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, यू पी ए आई, कुमट्रॉन लिमिटेड (उत्तरप्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं देहारादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[45] दो सार्वजनिक सा क्षे उ नामतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम और यू पी हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड को छोड़कर जिसमें राज्य सरकार द्वारा कोई भी निवेश (इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के रूप में) नहीं किया गया है।

3.3.1.6 राज्य सा क्षे उ को बजटीय समर्थन

जी ओ यू द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सा क्षे उ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सा क्षे उ के संबन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान / सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के संबन्ध में बजटीय बहिर्गमन के विवरण का सारांश निम्न **तालिका-3.3.3** जैसा है:

तालिका-3.3.3: वर्षों के दौरान राज्य सा क्षे उ को बजटीय समर्थन के संबन्ध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[46]	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	सा क्षे उ की संख्या	धनराशि
इक्विटी पूँजी बहिर्गमन (i)	4	26.95	2	78.42	4	63.02
दिये गए ऋण(ii)	2	12.10	-	-	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	6	339.30	5	490.80	5	649.21
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	-	378.35	-	569.22	-	712.23
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	1	10.46	1	6.25	-	-
गारंटी प्रतिबद्धता	-	-	1	0.19	1	0.67

स्रोत:सा क्षे उ द्वारा प्रदान सूचना के आधार पर संकलन।

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान / सब्सिडी के लिए बजटीय बहिर्गमन से संबन्धित मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न **चार्ट-3.3.1** में दिया गया हैं:

चार्ट-3.3.1: इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान / सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन

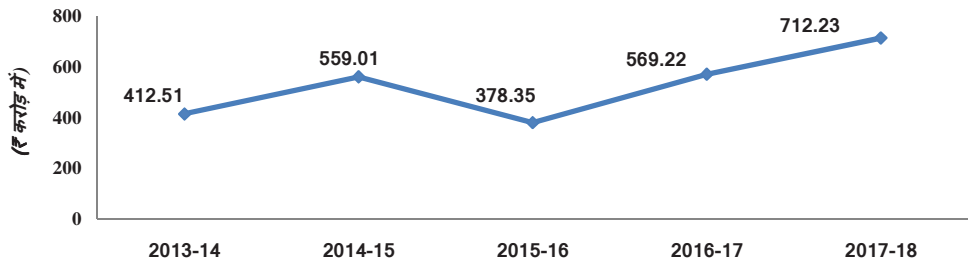

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सा क्षे उ को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 378.35 करोड़ एवं ₹ 712.23 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई ₹ 712.23 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी एवं अनुदान / सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 63.02 करोड़ एवं ₹ 649.21 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान

[46] धनराशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

इन सा क्षे उ को ऋण सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्यों का भुगतान करने के लिए डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी प्रदान की गई तथा उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को सीवरेज और जलापूर्ति हेतु अवसरंचनाओं का सृजन करने के लिए ₹ 590.99 करोड़ प्रदान किये।

सा क्षे उ को बैंक और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, जी ओ यू गारंटी प्रदान करती है तथा एक *प्रतिशत* प्रति वर्ष का गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा दी गई गारंटी पर एक *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क प्रभारित करने के लिए आदेशित (सितम्बर 2000) किया गया था और उसी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनाया गया था। 31 मार्च 2014 तक बकाया गारंटी प्रतिबद्धता की राशि शून्य थी, जो 31 मार्च 2018 को बढ़कर ₹ 0.67 करोड़ (एक सा क्षे उ-किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड) हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, सा क्षे उ द्वारा कोई गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

3.3.1.7 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

राज्य के सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के संबन्ध में आँकड़े जी ओ यू के वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करवाना चाहिए। इस संबन्ध में 31 मार्च 2018 की स्थिति निम्न **तालिका-3.3.4** में वर्णित की गई है:

तालिका-3.3.4: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण एवं बकाया गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के संबन्ध मे बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	राज्य के सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अतंर
इक्विटी	266.44	339.51[47]	73.07
ऋण	102.01	337.29	235.28
गारंटियाँ	-	0.67	0.67

स्रोत: सा क्षे उ एवं अनुमोदित वित्त लेखों द्वारा प्रदान सूचना के आधार पर संकलन।

पिछले कई वर्षों से आँकड़ों के बीच अंतर लगातार बना हुआ है। अंतरों के समाधान का प्रकरण भी समय-समय पर प्रधान महालेखाकर (उत्तराखण्ड) द्वारा सा क्षे उ / विभागों के साथ उठाया गया था। आँकड़ों का न मिलना लोकधन के रिसाव और धोखाधड़ी के साथ-साथ प्रासंगिक कानून के उल्लंघन को भी दर्शाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और सम्बन्धित सा क्षे उ को समयबद्ध तरीके से अंतरों को समाधान करना चाहिए।

[47] इसमें उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त किये गये पूँजीगत अनुदान के ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं जो कि 31 मार्च 2018 तक बकाया थे।

राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

31 मार्च 2018 को 26 सा क्षे उ में से 18 कार्यरत सा क्षे उ (15 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) एवं 8 अकार्यरत सा क्षे उ थे। राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समयसीमा के पालन करने की स्थिति नीचे वर्णित है:

3.3.1.8 कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

वर्ष 2017-18 के लिए सभी कार्यरत सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, किसी भी कार्यरत सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखों को नि म ले प को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया था। तीन सांविधिक निगमों में से, नि म ले प उत्तराखण्ड परिवहन निगम और यू एफ डी सी का एकमात्र लेखापरीक्षक है। नि म ले प को उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 2018-19 तक सौंपी गयी। किसी भी सांविधिक निगम द्वारा, लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किये थे।

30 सितम्बर 2018 को कार्यरत सा क्षे उ के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे **तालिका-3.3.5** में दिया गया है:

तालिका-3.3.5: कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र सं	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा क्षे उ की संख्या	18	18	18	19[48]	18[49]
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	15	07	19	32	12
3.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये पिछले वर्ष के लेखों की संख्या	11	14	12	37	12
5.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	18	18	18	19	18
6.	बकाया लेखों की संख्या	147	151	157	150[50]	66
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष से सताईस वर्ष	एक वर्ष से अट्ठाईस वर्ष	एक वर्ष से उनतीस वर्ष	एक वर्ष से तीस वर्ष	एक वर्ष से तेरह वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत सा क्षे उ से प्राप्त लेखों के आधार पर संकलन।

[48] 2016-17 के दौरान, एक नया सा क्षे उ नामतः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम जो 2005-06 में निगमित किया गया था, को व्यावसायिक अध्याय में शामिल किया गया। 12 लेखाओं को बकाया में सम्मिलित किया गया है क्योंकि कम्पनी का प्रथम लेखा अभी तक प्राप्त होना बाकी है।

[49] चार कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को अकार्यरत सा क्षे उ माना जाता है और इस संबन्ध में विवरण **तालिका-3.3.6** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन नए सा क्षे उ नामतः देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।

[50] चार कम्पनियों के 90 लेखे (2016-17 तक) अकार्यरत सा क्षे उ में स्थानांतरित किए गए **तालिका-3.3.6**।

01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान, कार्यरत 18 राज्य सा क्षे उ में से 9 सा क्षे उ के पिछले वर्षों के 12 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 18 सा क्षे उ से संबन्धित 66 वार्षिक लेखे बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.3.2*** में वर्णित है। प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं के क्रियाकलापों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन सा क्षे उ द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिया जाए और अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लेखों में बकाया के संबन्ध में संबन्धित विभागों को त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

जी ओ यू द्वारा 18 कार्यरत सा क्षे उ में से छः को ₹ 176.22 करोड़ (ऋण: ₹ 16.86 करोड़, सब्सिडी: ₹ 159.36 करोड़) प्रदान किए गए थे, जिनके लेखों को 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित था, जबकि इस अवधि के दौरान 10 सार्वजनिक सा क्षे उ[51] में कोई निवेश नहीं किया गया था जिनके लेखे बकाया थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किए गए निवेश का सा क्षे उ वार विवरण जिनके लेखे बकाया थे, का ब्यौरा ***परिशिष्ट-3.3.2*** में दर्शाया गया हैं। तथापि, 2017-18 की अवधि के लिए इन कार्यरत राज्य सा क्षे उ में से छः सा क्षे उ[52] के छः लेखों को अंतिम रूप दिया गया और अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि 12 कार्यरत राज्य सा क्षे उ के 60 लेखे मार्च 2019 तक प्रतीक्षित थे।

शेष 12 सा क्षे उ में लेखों को अंतिम रूप देने और तत्पश्चात लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेश और व्यय का उचित रूप से लेखांकन किया गया था और जिस उद्देश्य से धनराशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हो गया। इसीलिए, इन सा क्षे उ में जी ओ यू का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

3.3.1.9 अकार्यरत राज्य सा क्षे उ के द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

आठ अकार्यरत सा क्षे उ में से, एक सा क्षे उ की नामतः यू पी ए आई लिमिटेड मार्च 1991 से परिसमापन में था। आठ अकार्यरत सा क्षे उ के लेखे अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिसका विवरण जैसा कि निम्न **तालिका-3.3.6** में दिया गया है:

---

[51] दो नए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे नामतः उत्तराखण्ड मेट्रो रेल तथा इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 30 सितम्बर 2018 तक देय नहीं थे।

[52] डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तरांचल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

तालिका-3.3.6: अकार्यरत सा क्षे उ के संबन्ध में बकाया लेखों की स्थिति

क्र सं	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	अवधि जिसमें लेखे बकाया थे
1.	यू पी ए आई लिमिटेड (31.03.1991 से परिसमापन के अंतर्गत)	1989-90 से 2017-18
2.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2000-01 से 2017-18
3.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1997-98 से 2017-18
4.	कुमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1990-91 से 2017-18
5.	उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2017-18
6.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90 से 2017-18
7.	गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1994-95 से 2017-18
8.	कुमाऊँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2017-18

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान सा क्षे उ से प्राप्त हुए लेखों के आधार पर संकलन।

इन अकार्यरत सा क्षे उ में से किसी ने भी मार्च 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

3.3.1.10 सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) नि म ले प का वह प्रतिवेदन है जो सांविधिक निगमों के लेखाओं पर आधारित हैं। इन प्रतिवदेनों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। सभी तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने वर्ष 2017-18 के अपने लेखे 30 सितम्बर 2018 तक अग्रेषित नहीं किए थे।

सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों की स्थिति एवं उनके एस ए आर के विधायिका के पटल पर रखे जाने की स्थिति निम्न **तालिका-3.3.7** में वर्णित हैः

तालिका-3.3.7: सांविधिक निगमों के एस ए आर को पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों की वर्ष	एस ए आर के पटल पर रखे जाने का माह
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2014-15 से 2016-17	अभी रखा जाना बाकी है
उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2010-11 से 2015-16	अभी रखा जाना बाकी है
उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2014-15 एवं 2015-16	मार्च 2018

स्रोत: सांविधिक निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलन।

3.3.1.11 राज्य सा क्षे उ के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

जैसा कि ***प्रस्तर 3.3.1.8*** में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त लेखों में बकाया की स्थिति को देखते हुये, 2017-18 में

जी एस डी पी में सा क्षे उ के वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा राजकोष में भी इनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

3.3.1.12 कार्यशील राज्य सा क्षे उ का निष्पादन

छब्बीस राज्य सा क्षे उ की, 30 सितम्बर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ***परिशिष्ट-3.3.3*** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा सा क्षे उ में किया गया निवेश ₹ 4,118.59 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 3,414.88 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 703.71 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से, जी ओ यू का निवेश ₹ 1,374.02 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 1,036.73 करोड़[53] एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 337.29 करोड़ सम्मिलित थे।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सा क्षे उ में जी ओ यू के निवेश का वर्षवार विवरण निम्न **चार्ट-3.3.2** में दिया है:

चार्ट-3.3.2: सा क्षे उ क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जी ओ यू द्वारा कुल निवेश

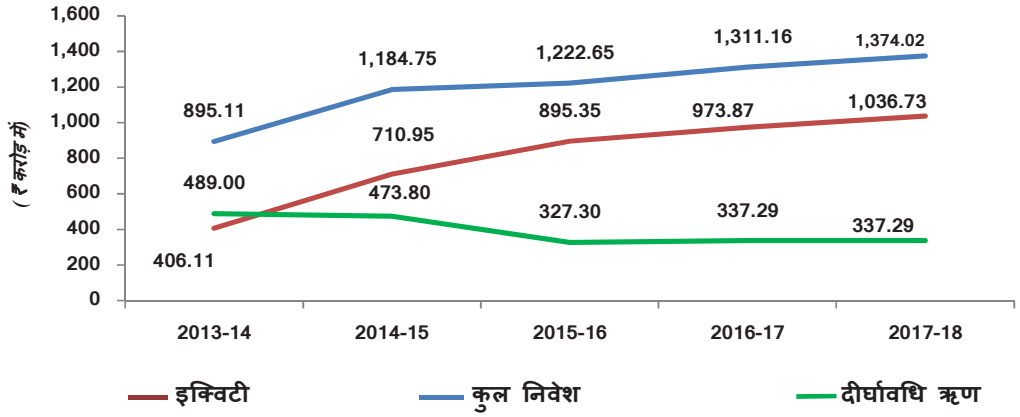

कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में निवेश की गई राशि से संबन्धित हुई लाभ

[53] इसमें राज्य सरकार से उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को प्राप्त पूँजीगत अनुदान ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित हैं और 31 मार्च 2018 तक बकाया है।

अथवा हानि को मापता है एवं निवल लाभ की कुल निवेश से प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई पूँजी से मापता है तथा जिसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं कर से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी से भाग देकर की जाती है।

3.3.1.13 निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14 कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा अर्जित / वहन की गई लाभ / हानियों[54] की समग्र स्थिति को निम्न **चार्ट-3.3.3** में दर्शाया गया है :

चार्ट-3.3.3: वर्षो के दौरान 14 कार्यरत सा क्षे उ द्वारा अर्जित / वहन किया गया लाभ / हानि

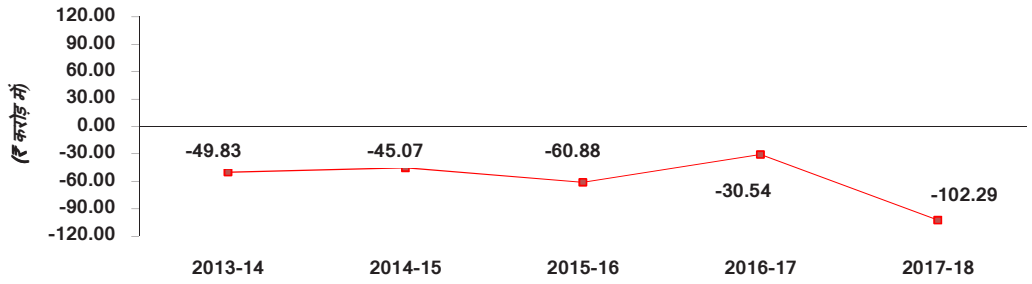

स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड के लाभ में पर्याप्त कमी के कारण 2013-14 में 14 सा क्षे उ द्वारा ₹ 49.83 करोड़ की हानि का वहन किया जो 2017-18 में बढ़कर ₹102.29 करोड़ हो गया। इन कार्यरत राज्य सा क्षे उ के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, छः सा क्षे उ ने ₹ 38.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आठ सा क्षे उ ने ₹ 140.35 करोड़ की हानि का वहन किया जैसा की ***परिशिष्ट-3.3.3*** में वर्णित है।

शीर्ष पर लाभ अर्जित करने वाली सा क्षे उ में यू एफ डी सी (₹ 20.31 करोड़) एवं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 7.66 करोड़), जबकि उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 39.50 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 36.04 करोड़) और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 29.68 करोड़) को भारी हानियों का वहन करना पड़ा।

2013-14 से 2017-18 के दौरान, 14 कार्यरत सा क्षे उ द्वारा अर्जित / वहन की गई लाभ / हानियों की स्थिति निम्न **तालिका-3.3.8** में दी गई है:

[54] आँकड़े सम्बन्धित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखों पर आधारित है।

तालिका-3.3.8: 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उप्रकमों द्वारा अर्जित / वहन की गई, लाभ / हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	सा क्षे उ की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के दौरान सीमांत लाभ/हानि वाले सा क्षे उ की संख्या
2013-14	14	06	07	01
2014-15	14	07	06	01
2015-16	14	06	07	01
2016-17	14	06	07	01
2017-18	14	05	08	01

3.3.1.14 ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

राज्य सरकार ने इक्विटी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश केवल 14 सा क्षे उ[55] में किया है। सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में ₹ 1,360.81 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,028.84 करोड़[56] एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 331.97 करोड़ है।

अनुदान[57]/ सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कोषों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में योग्य नहीं माने जाते हैं । कुल दीर्घावधि ऋण में से मात्र ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सा क्षे उ द्वारा ब्याज मुक्त ऋण चुकाए गए हैं, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य (पी वी) पर आधारित निवेश के मूल्य की गणना अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों के घटे हुए शेषों पर की गयी है जैसा की **तालिका-3.3.10** में वर्णित है।

इस अवधि के दौरान जारी किए गए ₹ 331.97 करोड़ के दीर्घकालिक ऋणों में से, ₹ 186.62 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे जो ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों पर आधारित थे। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 14 सा क्षे उ में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹1,215.46 करोड़ (इक्विटी के रूप में ₹1,028.84 करोड़ + ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹186.62 करोड़) था।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश पर प्रतिफल निम्न **तालिका-3.3.9** में दिया गया है:

---

55 चार कम्पनियों ने सितम्बर 2018 तक अपने प्रथम लेखे प्रेषित नहीं किए थे।

56 इसमें से राज्य सरकार से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्राप्त पूँजीगत अनुदान ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित है और 31 मार्च 2018 तक बकाया है।

57 उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के मामले में, राज्य सरकार संपत्ति सृजन के लिए पूँजी अनुदान प्रदान कर रही है। इसलिए, इसे निवेश माना गया है।

तालिका-3.3.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

क्षेत्रवार/वर्षवार विभाजन	कुल आय	ऐतिहासिक लागत के आधार जी ओ यू द्वारा इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में धन का किया गया निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशतता)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	5.91	16.33	*36.19*
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-86.62	552.54	*-15.68*
अन्य	30.88	8.95	*345.03*
कुल	**-49.83**	**577.82**	***-8.62***
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	5.91	17.04	*34.68*
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-87.53	1,015.85	*-8.62*
अन्य	36.55	8.95	*408.38*
कुल	***-45.07***	***1,041.84***	***-4.33***
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	7.26	17.44	*41.63*
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-104.69	1,048.93	*-9.98*
अन्य	36.55	8.95	*408.38*
कुल	***-60.88***	***1,075.32***	***-5.66***
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	6.26	17.44	*35.89*
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-49.06	1,126.70	*-4.35*
अन्य	12.26	8.95	*136.98*
कुल	***-30.54***	***1,153.09***	***-2.65***
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	7.56	17.44	*43.35*
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-127.95	1,189.07	*-10.76*
अन्य	18.10	8.95	*202.23*
कुल	***-102.29***	***1,215.46***	***-8.42***

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की गणना राज्य सरकार के निवेश की लागत से इन सा क्षे उ की कुल आय[58] को विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा। इसकी सीमा (-) 8.62 *प्रतिशत* और (-) 2.65 *प्रतिशत* के मध्य रही। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल, मुख्य रूप से वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड में लाभ में कमी के कारण, 2016-17 की तुलना में कम रहा।

[58] इसमें उन राज्य सा क्षे उ से सम्बन्धित वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि सम्मिलित हैं जहाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

3.3.1.15 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

चौदह राज्य सा क्षे उ में जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है के निवेश के सापेक्ष आय का विश्लेषण इन सा क्षे उ की लाभप्रदता को निर्धारित करने के लिये संपादित किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, इन 14 सा क्षे उ में जी ओ यू द्वारा निवेश की गई निधियों पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आय की गणना के अतिरिक्त, धन के वर्तमान मूल्य (पी वी) पर विचार करने के बाद निवेश पर आय की भी गणना की गई है। राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना की गई थी, जहाँ इन कम्पनियों के समामेलन के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, इन 14 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा। निवेश पर प्रतिफल की गणना पाँच वर्षों के लिए निवेश के आधार पर की गई है तथा पी वी के आधार पर दर्शाई गई।

राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में निवेशित धन राशि के वर्तमान मूल्य (पी वी) की गणना निम्न धारणाओं पर की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किया गया निधियों का निवेश माना गया है। तथापि, राज्य सा क्षे उ द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान के संबन्ध में, अवधि के दौरान पी वी की गणना ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषो पर की गई है। अनुदान / सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराये गए धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है जैसा कि ***प्रस्तर 3.3.1.6*** में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष[59] के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य लाने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान जब इन सा क्षे उ ने हानियों वहन किया, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। सा क्षे उ के निवल मूल्य के क्षरण पर ***प्रस्तर 3.3.1.18*** में टिप्पणी की गई है।

3.3.1.16 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि के लिए इन 14 राज्य सा क्षे उ में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ऋण के रूप में राज्य सरकार की निधियों के निवेश की सा क्षे उ

[59] सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नि म ले प की प्रतिवेदन से ली गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राज कोषीय दायित्व + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100।

वार स्थिति ***परिशिष्ट-3.3.4*** में इंगित की गई है। आगे, इन सा क्षे उ में समान अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की एन पी वी की समेकित स्थिति नीचे **तालिका-3.3.10** में इंगित की गई है:

तालिका-3.3.10: 2001-02 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियाँ एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत* में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii∗(1+vi/100}	ix={vii∗vi}/100	x
प्रारंभिक शेष		46.70	0.00	0.00	**0.00**	**46.70**	**46.70**		
2001-02	46.70	8.20	0.00	8.20	8.36	54.90	59.49	4.59	-3.37
2002-03	59.49	18.30	3.72	22.02	10.40	81.51	89.99	8.48	-3.60
2003-04	89.99	128.45	0.00	128.45	8.51	218.44	237.03	18.59	-13.60
2004-05	237.03	226.33	0.00	226.33	9.10	463.36	505.53	42.17	-8.66
2005-06	505.53	187.59	9.72	197.31	7.47	702.84	755.34	52.50	-10.05
2006-07	755.34	172.93	-0.25	172.68	7.79	928.02	1,000.31	72.29	2.02
2007-08	1,000.31	249.44	23.42	272.86	7.99	1,273.17	1,374.90	101.73	11.51
2008-09	1,374.90	219.47	5.49	224.96	7.75	1,599.86	1,723.85	123.99	37.29
2009-10	1,723.85	130.68	0.00	130.68	7.64	1,854.53	1,996.22	141.69	37.29
2010-11	1,996.22	-609.11	0.00	-609.11	7.34	1,387.11	1,488.92	101.81	24.10
2011-12	1,488.92	-269.48	100.52	-168.96	7.83	1,319.96	1,423.31	103.35	-41.03
2012-13	1,423.31	66.95	25.00	91.95	8.50	1,515.26	1,644.06	128.80	-63.06
2013-14	1,644.06	-176.25	10.00	-166.25	7.57	1,477.81	1,589.68	111.87	-49.83
2014-15	1,589.68	463.02	1.00	464.02	7.73	2,053.70	2,212.45	158.75	-45.07
2015-16	2,212.45	25.48	8.00	33.48	8.19	2,245.93	2,429.87	183.94	-60.88
2016-17	2,429.87	77.77	0.00	77.77	8.90	2,507.64	2,730.82	223.18	-30.54
2017-18	2,730.82	62.37	0.00	62.37	8.27	2,793.19	3,024.19	231.00	-102.29
योग		***1,028.84***	***186.62***	***1,215.46***					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन सा क्षे उ में निवेशित धनराशि का अवशेष वर्ष 2001-2002 में ₹ 46.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 1,215.46 करोड़[60] हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2001-2002 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 982.14 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 186.62 करोड़) के रूप में निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों की पी वी 31 मार्च 2018 को ₹ 3,024.19 करोड़ थीं।

2001-02 से 2017-18 की अवधि के दौरान, कुल आय 2001-02 से 2005-06 के दौरान ऋणात्मक रही तथा जी ओ यू द्वारा निवेशित निधियों की लागत की वसूली इन सा क्षे उ में नहीं हुई। यह तीन

[60] ₹1,215.46 करोड़ = ₹1,028.84 करोड़ + ₹186.62 करोड़।

सा क्षे उ[61] में इन वर्षों में भारी हानि के कारण हुई। इसी प्रकार, 2011-12 से 2017-18 के दौरान, चार सा क्षे उ[62] को काफी हानि हुई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान एक सा क्षे उ[63] द्वारा अर्जित लाभ ने अन्य सा क्षे उ द्वारा वहन किए गए की गई हानि की भरपाई की, जिसके परिणामस्वरूप कुल आय धनात्मक में परिवर्तित हो गयी।

आगे, लाभ अर्जन करने वाली दो सा क्षे उ अर्थात उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और यू एफ डी सी, जिन्होंने क्रमश: 2004-05 से 2017-18 और 2013-14 से 2017-18 के मध्य लाभ अर्जित किया था, के विश्लेषण में पाया गया कि ये सा क्षे उ बाज़ार में एकाधिकार के कारण लाभ अर्जित कर सके। उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने औद्योगिक भूमि के विकास और आवंटन से जुड़े क्रियाकलापों से आय अर्जित की और उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने लकड़ी की बिक्री और खनन क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया।

3.3.1.17 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में किये गये निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था, राज्य सरकार के निधियों पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना निम्न **तालिका-3.3.11** में दी गयी है:

तालिका-3.3.11: राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार विभाजन	कुल आय	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश का ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का पी वी	राज्य सरकार की निधियों पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर प्रतिफल (*प्रतिशत*)
2013-14					
सामाजिक क्षेत्र	5.91	16.33	36.19	31.75	18.61
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-86.62	552.54	-15.68	1,533.09	-5.65
अन्य	30.88	8.95	345.03	24.84	124.3
कुल	***-49.83***	***577.82***	*-8.62*	***1,589.68***	*-3.13*
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	5.91	17.04	34.68	34.97	16.9
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-87.53	1,015.85	-8.62	2,150.72	-4.07
अन्य	36.55	8.95	408.38	26.76	136.56
कुल	***-45.07***	***1,041.84***	*-4.33*	***2,212.45***	*-2.04*
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	7.26	17.44	41.63	38.27	18.97
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-104.69	1,048.93	-9.98	2,362.65	-4.43
अन्य	36.55	8.95	408.38	28.96	126.23
कुल	***-60.88***	***1,075.32***	*-5.66*	***2,429.87***	*-2.51*

[61] डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किछा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

[62] उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

[63] उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	6.26	17.44	35.89	41.68	15.02
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-49.06	1,126.7	-4.35	2,657.61	-1.85
अन्य	12.26	8.95	136.98	31.53	38.88
कुल	***-30.54***	***1,153.09***	*-2.65*	***2,730.82***	*-1.12*
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	7.56	17.44	43.35	45.12	16.75
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-127.95	1,189.07	-10.76	2,944.92	-4.34
अन्य	18.1	8.95	202.23	34.14	53.02
कुल	***-102.29***	***1,215.46***	***-8.42***	***3,024.19***	***-3.38***

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य को भी ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर कमाया हुआ प्रतिफल 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋणात्मक रहा।

3.3.1.18 निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य कुल प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित एवं आधिक्य के योग में से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय के योग को घटाने से होता है। आवश्यक रूप से यह एक माप है जो एक उपक्रम का उसके स्वामियों के लिए मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा खत्म हो गया है। सभी राज्य सा क्षे उ में पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियाँ उनके नवीनतम लेखों के अनुसार (30 सितम्बर 2018 तक) क्रमश: ₹ 2,771.12 करोड़ एवं ₹ (-) 455.78 करोड़ थे जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 2,315.34 करोड़ आता है जैसा कि ***परिशिष्ट-3.3.3*** में वर्णित है। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण में पाया गया कि इन 26 सा क्षे उ में से आठ में निवल मूल्य का पूर्णरूप से क्षरण हो गया। इन आठ सा क्षे उ में इक्विटी निवेश एवं संचित हानियाँ क्रमश: ₹ 278.10 करोड़ एवं ₹ 1,056.22 करोड़ थीं। डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (-)₹ 310.76 करोड़, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (-) ₹ 246.30 करोड़ और उत्तराखण्ड परिवहन निगम (-) ₹189.05 करोड़ में निवल मूल्य का पूर्णत: क्षरण हो गया।

निम्नलिखित **तालिका-3.3.12** में 14 कार्यरत कम्पनियाँ जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश किया गया है, कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को इंगित किया गया है:

तालिका-3.3.12*:* वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14 सा क्षे उ का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी[64]	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)[65] मुक्त कोष को समायोजित करने के बाद	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2,242.93	-162.17	0	2,080.76
2014-15	2,591.36	-310.62	0	2,280.74
2015-16	2,782.48	-360.79	0	2,421.69
2016-17	3,060.86	-420.34	0	2,640.52
2017-18	3,404.22	-442.29	0	2,961.93

[64] चालू वर्ष में सम्बन्धित वर्षों के अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार।

[65] नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर।

इन सार्वजनिक उपक्रमों का निवल मूल्य 2013-14 में ₹ 2,080.76 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 2,961.93 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान, 14 सा क्षे उ में से नौ सा क्षे उ[66] ने धनात्मक निवल मूल्य एवं पाँच[67] सा क्षे उ ने ऋणात्मक निवल मूल्य प्रदर्शित किया। सा क्षे उ का निवल मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण जी ओ यू द्वारा पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में पूँजी का निवेश था।

3.3.1.19 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अंतर्गत सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, किसी भी सा क्षे उ ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। था

3.3.1.20 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय निष्पादन कि एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि प्रबन्धन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियाँ विक्रय कर दी जायें एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारकों के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 14 सा क्षे उ जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है के शेयरधारकों की निधि एवं आर ओ आई का विवरण निम्न **तालिका-3.3.13** में दिया गया है:

---

[66] उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरांचल परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड ब्रिज रोपवे टनल एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[67] उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

तालिका-3.3.13: 14 सा क्षे उ से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जिनमें जी ओ यू द्वारा धन का निवेश किया गया है

वर्ष	शुद्ध आय *(₹ करोड़ में)*	शेयरधारकों की निधि *(₹ करोड़ में)*	आर ओ ई *(प्रतिशत)*
2013-14	-49.83	238.10	-
2014-15	-45.07	394.19	-
2015-16	-60.88	527.92	-
2016-17	-30.54	546.14	-
2017-18	-102.29	586.55	-

क्योंकि 2013-18 के दौरान इन सा क्षे उ की कुल आय ऋणात्मक थी इसलिए आर ओ ई की गणना नही की जा सकी।

3.3.1.21 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी[68] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान समस्त 20 राज्य सा क्षे उ[69] के आर ओ सी ई का विवरण नीचे दी गई **तालिका-3.3.14** में दिया गया है:

तालिका-3.3.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ई बी आई टी *(₹ करोड़ में)*	नियोजित पूँजी *(₹ करोड़ में)*	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल *(प्रतिशत)*
2013-14	-0.38	2,800.93	*-0.01*
2014-15	-3.16	2,834.59	*-0.11*
2015-16	-10.63	2,843.73	*-0.37*
2016-17	42.15	3,362.04	*1.25*
2017-18	-34.18	3,655.48	*-0.94*

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य सा क्षे उ का आर ओ सी ई (-) 0.94 *प्रतिशत* और 1.25 *प्रतिशत* की सीमा के मध्य रहा। पूर्व में लेखों की अवधि की तुलना में वर्ष 2016-17 में आरओसीई बढ़ी जिसका मुख्य कारण उत्तराखण्ड परिवहन निगम, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड के प्रतिवेदित वार्षिक लेखों में सुधार था।

---

[68] नियोजित पूँजी = शेयरपूँजी + मुक्त आरक्षित और आधिक्य + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ-स्थगित राजस्व व्यय। सा क्षे उ के आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

[69] इसमें छः सार्वजनिक सा क्षे उ शामिल नहीं हैं (तीन नए सार्वजनिक सा क्षे उ नामतः इको- टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एक सा क्षे ऊ नामतः उत्तराखण्ड अल्प संख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं और दो सा क्षे उ अर्थात यूपी हिल फोन लिमिटेड और यू पी हिल क्वार्ट्ज जिनका विवरण राज्य के सृजन के बाद से ही उपलब्ध नहीं हैं)।

3.3.1.22 सा क्षे उ के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को चुकाने की क्षमता का मूल्याँकन करने के लिए सा क्षे उ के दीर्घावाधि ऋणों का, जिन्हें 2013-14 से 2017-18 के दौरान लिया गया था, विश्लेषण किया गया। इसका मूल्याँकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

3.3.1.23 ब्याज-व्याप्ति अनुपात

ब्याज-व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज के व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण निम्न **तालिका-3.3.15** में दिया गया है:

तालिका-3.3.15: राज्य सा क्षे उ से सम्बन्धित ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज *(₹ करोड़ में)*	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) *(₹ करोड़ में)*	सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले सा क्षे उ की संख्या	सा क्षे उ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	सा क्षे उ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	42.34	-29.05	11	6	5[70]
2014-15	35.17	-13.30	10	6	4[71]
2015-16	36.92	-48.42	11	5	6[72]
2016-17	61.84	40.47	10	5	5[73]
2017-18	64.68	-41.70	10	4	6[74]

वर्ष 2017-18 के दौरान, जिन 10 राज्य सा क्षे उ में सरकार के साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है, उनमें से 4 सा क्षे उ में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष 6 सा क्षे उ में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है जो कि यह इंगित करता है कि यह

---

70 उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

71 उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

72 उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

73 उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

74 उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

6 सा क्षे उ इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

3.3.1.24 ऋण-टर्नओवर अनुपात

गत पाँच वर्षों के दौरान, इन 20 सा क्षे उ[75] के टर्नओवर में 20.59 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 12.14 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.48:1 से घट कर 2017-18 में 0.35:1 हो गया जैसा की निम्न **तालिका-3.3.16** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.3.16: राज्य सा क्षे उ से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	548.67	564.01	432.20	731.68	703.71
टर्नओवर	1,134.89	1,319.82	1,428.17	1,440.43	1,990.08
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.48:1	0.43:1	0.30:1	0.51:1	0.35:1

स्रोत: वित्तीय विवरण एवं सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलन।

ऋण टर्नओवर अनुपात में गिरवाट की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि सा क्षे उ अपने ऋण से अधिक टर्नओवर करने में सक्षम थे।

3.3.1.25 अकार्यरत सा क्षे उ का समापन

31 मार्च 2018 तक 26 राज्य सा क्षे उ में से आठ अकार्यरत कम्पनियों में पूँजी (₹ 3.36 करोड़) और दीर्घकालिक ऋणों (₹ 23.88 करोड़) को मिलाकर कुल निवेश ₹ 27.24 करोड़ (यू पी ए आई लिमिटेड में ₹ 0.17 करोड़, ट्रांस केबल्स लिमिटेड में ₹ 4.38 करोड़, उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड में ₹ 20.27 करोड़, कुमट्रोन लिमिटेड में ₹ 0.18 करोड़, गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.71 करोड़, यू पी हिल फोंस लिमिटेड में ₹ 0.03 और कुमाऊँ अनूसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में ₹ 0.50 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या निम्न **तालिका-3.3.17** में दी गई है:

तालिका-3.3.17: अकार्यरत राज्य सा क्षे उ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	4	4	8

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ), जी ओ यू एवं परिशिष्ट-3.3.1 में सम्मिलित सूचनाओ के आधार पर संकलन।

[75] इसमें छः सार्वजनिक सा क्षे उ शामिल नहीं हैं (तीन नए सार्वजनिक सा क्षे उ अर्थात् इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एक सा क्षे उ अर्थात् उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अब तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। और दो सा क्षे उ अर्थात यू पी हिल फोन सीमित और यू पी हिल क्वार्ट्ज जहाँ विवरण राज्य सृजन के बाद से ही उपलब्ध नहीं हैं)।

इन अकार्यरत सार्वजनिक सा क्षे उ में से, 31.03.1991 से एक सा क्षे उ[76] परिसमापन के अधीन था। सरकार इन सा क्षे उ को बंद करने के संबन्ध में उचित निर्णय ले सकती है।

3.3.1.26 राज्य सा क्षे उ के लेखों पर टिप्पणियाँ

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक आठ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। इनमें से आठ लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चुना गया और तीन लेखों[77] को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प द्वारा संपादित अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न **तालिका-3.3.18** में दिया गया है:

तालिका-3.3.18: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	0.91	10	52.45	6	37.81
2.	लाभ में वृद्धि	0	-	0	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	3	8.18	20	150.65	2	7.62
4.	हानि में कमी	0	-	0	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	0	-	15	3.75	4	15.85
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	7	112.20	12	25.36	5	185.38

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा क्षे उ के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के आधार पर संकलन।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर अर्हता प्रमाण-पत्र और दो लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण पत्र प्रदान किये। सा क्षे उ द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि पाँच लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 37 मामले इंगित किये गये।

3.3.1.27 राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और यू एफ डी सी हैं। नि म ले प सभी सांविधिक निगमों के संबन्ध में एकमात्र लेखापरीक्षक है।

किसी भी सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे अग्रेषित नहीं किए गए थे, जबकि यू एफ डी सी ने वर्ष 2016-17 के लिए दिसम्बर 2017 में वार्षिक लेखे अग्रेषित किए थे। नि म ले प ने वर्ष 2016-17 के लेखों पर 'सही और निष्पक्ष' प्रमाण पत्र दिया है।

---

[76] यू पी ए आई।

[77] डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तरांचल परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न **तालिका-3.3.19** में दिया गया है:

तालिका-3.3.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	5	163.16	1	25.87
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	12.66	3	48.33	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	-	-	3	32.67	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	1	11.73	5	146.07	1	7.17

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के आधार पर संकलन।

3.3.1.28 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदन के लिए, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, जो कि उत्तराखण्ड बहुद्देशीय एवं विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड वन विकास निगम से संबन्धित थे, को संबन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों / सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के लिए जारी किये गये थे। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर पर किसी में भी जवाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 23.45 करोड़ है।

3.3.1.29 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः, यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। सभी प्रशासनिक विभागों को सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना निर्धारित प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों / निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी ए) पर अपना उत्तर / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करनी होती हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणीयों की स्थिति निम्न **तालिका-3.3.20** में दी गई है:

तालिका-3.3.20: सा क्षे उ के संबन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा क्षे उ से संबन्धित सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी ए) एवं प्रस्तर		निष्पादन प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पी ए	प्रस्तर	पी ए	प्रस्तर
2012-13	नवम्बर 2014	--	01	--	01
2013-14	नवम्बर 2015	--	03	--	03
2014-15	नवम्बर 2016	--	03	--	03
2015-16	मई 2017	--	02	--	02
2016-17	सितम्बर 2018	--	02	--	02

स्रोत:लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलन।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रस्तर की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक पाँच विभागों[78] के पास लंबित थीं।

3.3.1.30 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 दिसम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) में सम्मिलित सा क्षे उ से सम्बन्धित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे **तालिका-3.3.21** में दर्शाई गई है:

तालिका-3.3.21: 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये प्रस्तर	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2012-13	--	01	--	01
2013-14	--	03	--	--
2014-15	--	03	--	--
2015-16	--	02	--	02
2016-17	--	02	--	--

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) चर्चा के लिए लंबित हैं।

3.3.1.31 कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

दो प्रतिवेदनों[79] पर जो कि दिसम्बर 2003 और दिसम्बर 2008 में राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए गए, पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (मार्च 2019), जैसा की नीचे **तालिका-3.3.22** में इंगित किया गया है:

---

[78] कृषि; उद्योग; परिवहन; पर्यटन और वन।

[79] कोपू प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष 30.12.2003 और 17.12.2008 को प्रस्तुत किया गया।

तालिका-3.3.22: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर ए टी एन प्राप्त नहीं हुए
2002-03	01	02	कोई भी कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नही हुई
2008-09	01	01	

स्रोत: कोपू प्रतिवेदन के आधार पर संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम और उत्तराखण्ड पेय जल निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तर के संबन्ध में अनुशंसाएँ थीं, जो वर्ष 1999-2000 की भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गईं थीं। मार्च 2019 तक इन दो कोपू प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

3.4 आय की हानि

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को प्रचलित दर से कम दर पर भूमि पट्टे पर देने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के पट्टा किराया का परित्याग करना पड़ा।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (जी एम वी एन) का राजपुर रोड देहरादून में बहुमंजिला व्यावसायिक कार्यालय भवन है जो शहर का एक प्रमुख स्थान है। भवन के भूतल तथा उसके प्रथम तल के कुछ भाग का उपयोग जी एम वी एन द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। जी एम वी एन के पास किराए के लिए 13,655.64 वर्ग फुट[80] स्थान उपलब्ध था और यह 2001[81] के बाद से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों को पट्टे पर दिया गया था।

प्रबंध निदेशक, जी एम वी एन के अभिलेखों (मार्च 2015) की जाँच तथा आगे एकत्र की गयी सूचना (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इसके 13,655.64 वर्ग फुट क्षेत्र में से 10,107.57 वर्ग फुट[82] का क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)[83] तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)[84] को पहले वर्ष के लिए ₹ 90 प्रति वर्ग फुट की दर से प्रत्येक वर्ष पाँच *प्रतिशत* मूल्यवृद्धि के साथ पट्टे पर दिया गया था। जी एम वी एन द्वारा भवन के शेष क्षेत्रफल[85] को सेबी एवं आर बी आई द्वारा भुगतान की

[80] पहली मंजिल का हिस्सा (1,257.38 वर्ग फुट), दूसरी मंजिल (3,580.69 वर्ग फुट) और तीसरी मंजिल (7,817.57 वर्ग फुट) जुलाई 2012 से।

[81] प्रारम्भ में, पहली मंजिल पर 1,310 वर्ग फुट का क्षेत्र जी एम वी एन द्वारा हुडको को (01.05 2001 से) पट्टे पर दिया गया था।

[82] आर बी आई-7,817.57 वर्ग फुट; से बी-2,290 वर्ग फुट।

[83] 13 जुलाई 2012 से आज तक।

[84] 1 सितम्बर 2013 से आज तक।

[85] 3,548.07 वर्ग फुट क्षेत्र।

गयी पट्टे की समकक्ष दर पर किराए पर दिये जाने के स्थान पर राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग (एस आई पी आर डी, उत्तराखण्ड) को ₹ 24.63 प्रति वर्ग फुट की काफी कम दर से दिसम्बर 2013 से क्षेत्र पट्टे पर दिया गया। यह भी संज्ञान में आया कि दिसम्बर 2016 में एस आई पी आर डी द्वारा 3,548.07 वर्ग फुट क्षेत्र रिक्त किए जाने के पश्चात 2,257.33 वर्ग फुट क्षेत्र आर बी आई, देहरादून को ₹ 108[86] प्रति वर्ग फुट की उच्च दर पर जी एम वी एन द्वारा मई 2017 से पट्टे पर दिया गया था।

इस प्रकार, आर बी आई / सेबी से ली जा रही दर से कम दर पर आवास को किराए पर देकर, जी एम वी एन दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि में ₹ 1.08 करोड़[87] के पट्टे के किराए से वंचित रहा।

जी एम वी एन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि (फरवरी 2018) कि एस आई पी आर डी को नियमित रूप से ₹ 1.08 करोड़ की अंतर राशि का भुगतान करने के अनुरोध के बावजूद, कोई भुगतान नहीं मिला। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी एम वी एन को एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए आर बी आई / सेबी से प्रभारित किए जाने वाले दर / बाजार दर पर भवन का स्थान किराए पर देना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से, इसने ₹ 1.08 करोड़ का नुकसान उठाया।

यह मामला सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2018); इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3.5 राजस्व की हानि

कम्पनी लाभार्थियों से ऋण के रूप में दिये गए ₹ 12.94 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कम्पनी ने अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर के निगमों को ₹ 8.29 करोड़ वापस कर दिये।

उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (अक्टूबर 2001) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के उद्यम के रूप में की गई थी। कम्पनी का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रोत्साहन / अनुदान / सहायता / संगठित / वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कम्पनी आसान शर्तों, / मार्जिन मनी ऋण और / या लाभार्थी को सहायता, या राज्य के सहकारी समितियों को उनके व्यापार, व्यवसाय या अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कम ब्याज दर पर अग्रिम ऋण देने और ऋण के वितरण के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि[88] के रूप में भी कार्य करती है।

---

[86] प्रथम वर्ष के लिए ₹ 108.00 प्रति वर्ग फुट एवं द्वितीय वर्ष के लिए ₹ 112.50 प्रति वर्ग फुट।

[87] दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016: देय किराया ₹ 1.39 करोड़ - एस आई पी आर डी द्वारा भुगतान किया गया ₹ 0.31 करोड़ = शेष ₹ 1.08 करोड़।

[88] राज्य चैनलाईजिंग अभिकरण (एस सी ए)।

राज्य सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं[89] को शुरू करने के लिए कम्पनी को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निगमों (एन सी)[90] को गारंटी दी थी। इस उद्देश्य के लिए, कम्पनी ने लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने वाले एन सी के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, लाभार्थियों को उस दर से तीन *प्रतिशत* ब्याज दर बढ़ाकर ऋण प्रदान किए गए थे जिस पर कम्पनी द्वारा राशि उधार ली गई थी। ऋण की वसूली को सुरक्षित करने के लिए, कम्पनी को लाभार्थियो से आगे की तिथि का चेक (पी डी सी) लेने की आवश्यकता थी। ऋण को नियत अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में एन सी को चुकाया जाना था। ऋण की अदायगी में चूक की स्थिति में, बकायों पर ब्याज की सामान्य दरों से दो *प्रतिशत* अधिक की अतिरिक्त ब्याज लागू होता था।

कम्पनी ने 2001-02 से 2016-17 के दौरान, एन सी से ₹ 23.27 करोड़ उधार लिए। इस राशि में से, ₹ 18.47 करोड़, राज्य के सभी जिलों में लक्षित समूहों के 2012 लाभार्थियों को ऋण के रूप में वितरित किये गये थे। कम्पनी ने ब्याज के साथ ₹ 15.35 करोड़ वसूल किये और ₹ 12.94 करोड़[91] (₹ 8.29 करोड़ मूलधन के रूप में + ₹ 4.65 करोड़ ब्याज के रूप में) 1,382 बकायादार लाभार्थियों से एक से 16 वर्ष (मार्च 2018) की अवधि के लिए वसूली के लिए लंबित था। कम्पनी ने मार्च 2018 तक ₹ 20.98 करोड़[92] को एन सी को चुका दिया। भुगतान में देरी के मामले में दो *प्रतिशत* अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए, कम्पनी ने ₹ 8.29 करोड़ का भुगतान स्वयं के संसाधनों से एन सी को किया था। इसके अतिरिक्त, 1,382 डिफॉल्टर लाभार्थियों में से केवल 313 (22.64 *प्रतिशत*) डिफॉल्टरों को रिकवरी सर्टिफिकेट (आर सी) जारी किए गए थे।

इंगित किए जाने पर, प्रबन्धन ने अवगत कराया (जनवरी 2017) कि पर्याप्त प्रयासों के बाद भी अर्थात् कुछ मामलों में, नोटिस और आर सी जारी किए जाने के बाद भी ऋण राशि की वसूली नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋण वसूली न होने का मुख्य कारण कमजोर वसूली तंत्र जैसे कि सभी आगे कि तिथि के चेक एकत्रित करके बैंकों में जमा नहीं किए गए थे और राज्य के 1,069 डिफॉल्टिंग लाभार्थियों (77.35 *प्रतिशत*) के विरुद्ध आर सी जारी नहीं की गयी थी।

लाभार्थियों से ऋण की वसूली की दिशा में कम्पनी की उदासीनता के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अतिरिक्त ब्याज के प्रभार से बचने के लिए स्वयं के संसाधनों से एन सी को धनराशि वापिस की गयी, जिससे ₹ 8.29 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 12.94 करोड़ की ऋण राशि की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2018); उसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

---

89 राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित योजनाएँ जिसके लिए यू बी वी ई वी एन एल एक एस सी ए के रूप में काम कर रहा है।

90 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निगम और राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त निगम।

91 ₹ 8.29 करोड़ (मूलधन) + ₹ 4.65 करोड़ (ब्याज)।

92 ₹ 18.27 करोड़ (मूलधन) + ₹ 2.71 करोड़ (ब्याज)।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

3.6 ब्याज की हानि

अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण निगम ने ₹ 1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (निगम) द्वारा अंगीकृत यू पी वन निगम अधिनियम, 1974 (01 अप्रैल 2001) के अनुसार, निगम का अपना फण्ड होगा जो कि स्थानीय फण्ड होगा और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाएगी। फण्ड की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक या किसी भी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा।

निगम ने (30 जनवरी 2017) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक वर्ष की अवधि की सावधि जमा में निधि के धन के निवेश के लिए अपनी सर्वोत्तम दरों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिउत्तर में, आठ बैंकों[93] ने (30 जनवरी से 02 फरवरी 2017 तक) तीन स्लैबों में अपनी ब्याज दरें बताईं i) ₹ एक करोड़[94] तक का निवेश, ii) ₹ एक और पाँच[95] / दस करोड़[96] के बीच निवेश और iii) ₹ पाँच/ दस करोड़[97] से ऊपर का निवेश। सिंडिकेट बैंक द्वारा ₹ एक से पाँच करोड़ के स्लैब में उच्चतम दर (प्रति वर्ष 6.5 *प्रतिशत*) की पेशकश की गई। जनवरी-फरवरी 2017 के दौरान, निगम ने छः अल्पावधि सावधि जमाओं में ₹ 104.05 करोड़ का एक वर्ष के लिए दो अनुसूचित बैंकों[98] में प्रत्येक ₹ पाँच करोड़ से अधिक के मूल्य पर पाँच *प्रतिशत* से लेकर 5.51 *प्रतिशत* तक का निवेश किया, जिसके विरुद्ध उसने एक वर्ष का ब्याज ₹ 5.61 करोड़ अर्जित किया। निगम के पास सिंडिकेट बैंक द्वारा ₹ एक करोड़ से ₹ पाँच करोड़ के स्लैब में पेश की गई 6.50 *प्रतिशत* उच्च ब्याज की दर पर निधि का निवेश करके ₹ 6.93 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का विकल्प था जैसा कि फरवरी 2017 में किया गया था जिसमें ₹ 10.68 करोड़ की धनराशि को तीन सावधि जमा के रूप में ₹ 5 करोड़ से कम की धनराशियों में विभाजित किया गया था। यदि निगम ने अपने फण्ड को 6.50 *प्रतिशत* की उच्च ब्याज दर वाले स्लैब में निवेश किया होता, तो यह ₹ 1.32 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित कर सकता था (जैसा कि ***परिशिष्ट-3.6.1*** में वर्णित है)।

सरकार ने अवगत कराया कि (जून 2018) राशि को सिंडिकेट बैंक की पेशकश पर सावधि जमा में निवेश किया गया था जिसने ₹ पाँच करोड़ से ऊपर के स्लैब में उच्चतम दर की पेशकश की थी तथा पुनः अवगत कराया गया कि एक ही तारीख में एक से अधिक सावधि जमा पर निवेश एकल आई डी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक

---

93 पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक।

94 6.75 *प्रतिशत* से सात *प्रतिशत* प्रति वर्ष।

95 ₹ एक से ₹ पाँच करोड़ (सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक) और ₹ एक से ₹ दस करोड़ (यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक)।

96 4.00 *प्रतिशत* से 6.50 *प्रतिशत* प्रति वर्ष।

97 4.50 *प्रतिशत* से 5.51 *प्रतिशत* प्रति वर्ष।

98 पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक।

(पी एन बी) ने अन्य बैंकों की तुलना में निगम को दिए गए ऋण[99] पर बेहतर दर (5.5 *प्रतिशत*) की पेशकश की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रस्तावित उच्च ब्याज दर (6.50 *प्रतिशत*) का लाभ उठाने के लिए निगम को ₹ एक से ₹ पाँच करोड़ के स्लैब में निवेश करना चाहिए था। एक ही तारीख में एक से अधिक सावधि जमा में निवेश करने में असमर्थता के संबन्ध में, यह पाया गया कि निगम ने एक ही तिथि (01 फरवरी 2017) को चार सावधि जमा (₹ नौं करोड़ प्रत्येक) करके पी एन बी में अपना फण्ड निवेश किया था। इसके अतिरिक्त, निगम का कथन उचित नहीं है क्योंकि उसने फरवरी 2017 में सिंडिकेट बैंक द्वारा पेश किये गये अधिक ब्याज को अर्जित करने के लिए (6.50 *प्रतिशत* की दर से) ₹ एक से पाँच करोड़ के स्लैब में तीन सावधि जमा[100] करने हेतु ₹ 10.68 करोड़ का विभाजन किया था। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा लिए गए ऋण पर सिंडिकेट बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की उच्च दर पर विचार करने के बाद भी निगम को ₹ 1.14 करोड़[101] की हानि हुई ***(परिशिष्ट-3.6.1)***।

इस प्रकार, निगम ने अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण ₹ 1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.7 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में नियमित रूप से चूक करने के बावजूद भी उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) ने बार-बार किश्तों का पुनः निर्धारण कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राजस्व की वसूली नहीं हुई।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2007 का खण्ड 4.1 यह प्रावधान करता है कि यू पी सी एल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अनुसार, उन उपभोक्ता को जो अपने बकायों का भुगतान करने में चूक करते हैं, बकायों का भुगतान करने हेतु स्पष्ट 15 दिन का समय देते हुये लिखित रूप से विच्छेदन की सूचना जारी कर सकता है। यू पी सी एल उक्त सूचना की अवधि की समाप्ति पर उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को समाप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता विच्छेदन की तारीख के छः महीने के भीतर बकाया सहित समस्त देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे संयोजन स्थायी रूप से विच्छेद कर दिये जाएंगे। इसके आतिरिक्त, बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए केवल 12 किश्तों की अनुमति[102] थी।

---

[99] आवश्यकता पड़ने पर, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निगम अपने एफ डी आर के विरुद्ध ऋण लेता है।

[100] ₹ 4.999 करोड़ (03.02.2017), ₹ 4.999 करोड़ (04.02.2017), ₹ 0.68 करोड़ (05.02.2017)।

[101] [अर्जित ब्याज का अंतर ₹ 104.05 करोड़ पर 6.50 *प्रतिशत* की दर से अर्जित ब्याज (₹ 6.93 करोड़) और 5 से 5.5 *प्रतिशत* की दर से अर्जित ब्याज (₹ 5.61 करोड़) = ₹ 1.32 करोड़] - [ब्याज का अंतर जो कि ऋण पर भुगतान किया जाता है 8.5 *प्रतिशत* की दर से (₹ 0.52 करोड़) और ऋण पर ब्याज का भुगतान 5 से 5.5 *प्रतिशत* की दर से (₹ 0.34 करोड़) = ₹ 0.18 करोड़] = ₹ 1.14 करोड़ (जैसा कि ***परिशिष्ट-3.6.1*** में वर्णित है)।

[102] प्रबंध निदेशक के आदेश दिनाँक 27.06.2011 और 20.05.2017 के अनुसार।

अभिलेखों की जाँच (जून 2017) और अतिरिक्त सूचना (जनवरी 2018) जो अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड (ई ई, ई डी डी), काशीपुर से एकत्रित की गयी, में पाया गया कि एक उपभोक्ता[103] को 3,100 किलोवाट के स्वीकृत भार के साथ 01.10.2013 को कनेक्शन जारी किया गया था। उपभोक्ता ने विद्युत बिलों के भुगतान में प्रथम बिल (नवम्बर 2013) से अक्टूबर 2017 तक में निरंतर चूक की। यू पी सी एल ने यू ई आर सी विनियमों के अनुसार उचित कार्यवाही नहीं की और उपभोक्ता द्वारा लगातार विद्युत का बकाया भुगतान करने में चूक के बावजूद भी यू पी सी एल ने किश्त सुविधा को 10 बार पुनर्निर्धारित किया, जिसे यू पी सी एल ने भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को प्रदान किया था। बकाया राशि अप्रैल 2014 में ₹ 44.91 लाख से बढ़कर अप्रैल 2015 में ₹ 89.09 लाख; अप्रैल 2016 में ₹ 1.12 करोड़ और अप्रैल 2017 में ₹ 2.23 करोड़ हो गई। यू पी सी एल द्वारा संयोजन को अंतत: 1.11.2017 को विच्छेद कर दिया गया तथा बकाया वसूली अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत उपभोक्ता को ₹ 2.65 करोड़ का (नवम्बर 2017) डिमांड नोटिस जारी किया गया था। जिसके विरुद्ध उपभोक्ता ने नैनीताल उच्च न्ययालय में विद्युत बकाया के भुगतान करने हेतु राहत प्रदान करने के लिए अपील[104] दायर की। उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को बकाया की पहली किश्त (₹ 25 लाख) का भुगतान 27 दिसम्बर 2017 को या इससे पूर्व करने तथा शेष बकाया[105] किश्तों का भुगतान अगले माह की 27 तारीख या उससे पूर्व करने का आदेश दिया (दिसम्बर 2017)। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, उपभोक्ता ने विद्युत की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और खण्ड ने ₹ 2.33 करोड़[106] का रिकवरी सर्टिफिकेट (बकाया राशि अधिनियम, 1948 धारा 5 के अंतर्गत) (अक्टूबर 2017 तक) जिले के मजिस्ट्रेट (डी एम), उधम सिंह नगर को निर्गत किया (जनवरी 2018) जिससे कि वे सुरक्षा राशि को समायोजित करने के बाद बकाए की वसूली करें। उपभोक्ता ने फिर से हाईकोर्ट में एक याचिका (30.01.2018) बकाया भुगतान के लिए समय बढ़ाने की माँग हेतु दायर की। उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को ₹ 25 लाख दिनाँक 21.03.2018 तक जमा करने का और 27.12.2017 से 27.3.2018 तक की बकाया किश्तों की धनराशि का 50 *प्रतिशत* 15 दिन में और शेष 50 *प्रतिशत* धनराशि को एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया (20.03.2018)। उपभोक्ता ने ₹ 25 लाख का भुगतान (₹ 10 लाख 21.3.2018 को और ₹ 15 लाख 22.3.2018 को) कर दिया तथा उसका विद्युत संयोजन बहाल कर दिया गया। तथापि, इसके बाद उपभोक्ता ने कोई राशि जमा नहीं की और विद्युत की बकाया राशि मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 3.34 करोड़ हो गई थी। यू पी सी एल ने 04.04.2018 को उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी और ₹ 3.34 करोड़ का रिकवरी प्रमाण पत्र सम्बन्धित डी एम को जारी किया (21.06.2018)।

---

103 सृष्टि स्टील उद्योग, काशीपुर।

104 विशेष अपील सं 1023 वर्ष 2017।

105 18 समान किश्तों में बकाया राशि वितरित की गई।

106 कुल बकाया: ₹ 2.65 करोड़ - सुरक्षा राशि: ₹ 0.32 करोड़ = ₹ 2.33 करोड़।

यू पी सी एल ने (03.10.2017 और 07.11.2017) 12 किश्तों के बजाय उपभोक्ता को विद्युत के बकाये के भुगतान के लिए 29 और 18 किश्तों की सुविधा प्रदान की जो कि अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन था और जिससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, सरकार ने अवगत कराया (मई 2018) कि बकाया वसूली की संभावना को अधिकतम करने की दृष्टि से, किश्त सुविधा प्रदान की गई थी। तथापि, यू पी सी एल के प्रयास असफल रहे।

यू पी सी एल ने यू ई आर सी विनियमन, 2007 की धारा 4.1 के अनुसार उपभोक्ता के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं की और स्थिति को यथावत रखा, जिसके कारण ₹ 3.34 करोड़ की बकाया राशि का संचय हुआ। यू पी सी एल द्वारा अपने आदेश (मई 2017) का उल्लंघन करते हुए, विद्युत बकाया के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि की, जो उपभोक्ता के लिए एक अनुचित लाभ था।

यदि यू पी सी एल द्वारा यू ई आर सी विनियमन, 2007 का पालन किया गया होता, तो ₹ 3.34 करोड़ की विद्युत के बकाया के संचय से बचा जा सकता था।

(एस.आलोक)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

देहरादून
दिनाँक : 24 अक्टूबर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक : 06 नवम्बर 2019